



दिल्ली विश्वविद्यालय University of Delhi



वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट
ANNUAL ACCOUNTS AND AUDIT REPORT

2019-2020

दिल्ली विश्वविद्यालय
वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे
सूचकांक

क्रमांक	विवरण का नाम	पृष्ठ संख्या
क. दिल्ली विश्वविद्यालय		
1.	तुलन पत्र	1
2.	आय तथा व्यय लेखा	2
3.	अनुसूची जो तुलनपत्र का भाग है : अनुसूची 1,2,3,4,5,6,7,8	3 से 23
4.	अनुसूची जो आय तथा व्यय का भाग है : अनुसूची 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	24 से 39
5.	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ : अनुसूची 23	40 से 44
6.	आनुषांगिक देयताएँ तथा लेखों पर टिप्पणियाँ : अनुसूची 24	45 से 47
7.	प्राप्ति और अदायगी लेखा	48 से 49
ख. भविष्य निधि लेखा		
8.	तुलनपत्र	50
9.	आय तथा व्यय लेखा	51
10.	प्राप्ति और अदायगी लेखा	52
ग. नई पेंशन निधि		
11.	तुलनपत्र	53
12.	आय तथा व्यय लेखा	54
13.	प्राप्ति और अदायगी लेखा	55
घ. विश्वविद्यालय प्रेस		
14.	तुलनपत्र	56
15.	लाभ और हानि लेखा	57
16.	प्राप्ति और अदायगी लेखा	58
ड. हॉल तथा छात्रावास		
17.	समेकित तुलनपत्र	59
18.	समेकित आय तथा व्यय लेखा	60
19.	समेकित प्राप्ति और अदायगी लेखा	61
च. लेखों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट महानिर्देशक लेखापरीक्षा		62 से 81

दिल्ली विश्वविद्यालय
31 मार्च 2020 तक का तुलन पत्र

निधियों के स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष	धनराशि ₹ में गत वर्ष
समग्र/पूँजीगत निधि	1	(21689232544)	(16300485154)
नामोद्विष्ट/उद्विष्ट/अक्षय निधियां	2	8747162952	7679054711
चालू देयताएं और प्रावधान	3	35553633997	29980071347
कुल		22611564405	21358640904
निधियों के अनुप्रयोग			
अचल परिसंपत्तियां			
मूर्त परिसंपत्तियां	4	3537042788	3702203920
अमूर्त परिसंपत्तियां		1017670	1398111
पूँजी वर्क इन प्रोग्रेस		122872429	122872429
उद्विष्ट/अक्षय निधियों से निवेश	5	883083000	883083000
निवेश – अन्य	6	----	----
चालू परिसंपत्तियां	7	14983967956	13743862296
ऋण, अग्रिम और जमा	8	3083580561	2905221148
कुल		22611564405	21358640904
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएं और नोट्स टू अकाउंट्स	24		

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
22/3/20

कापिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

काविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

धनराशि ₹ में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	1042341319	920718581
अनुदान/आर्थिक सहायता	10	5706460022	5265660407
निवेशों से आय	11	27271669	52734780
अर्जित व्याज	12	15030915	57188754
अन्य आय	13	106317304	83506316
पूर्व अवधि आय	14	----	----
स्टॉक में वृद्धि/कमी		----	----
कुल (क)		6897421229	6379808838
व्यय			
स्टाफ भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15	10581371046	6681419208
शैक्षणिक व्यय	16	427504772	562118283
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	782505609	908848745
परिवहन व्यय	18	0	10080
मरम्मत एवं रखरखाव	19	179902718	199746212
वित्तीय लागत	20	207420	156089
मूल्यहास	4	399715568	442567008
अनुदानों, आर्थिक सहायताओं इत्यादि पर खर्च	21	142885040	145980806
पूर्व अवधि आय	22	683230	1298098067
स्टॉक में वृद्धि/कमी		6629445	3295165
कुल (ख)		12521404847	10242239664

आय पर व्यय के आधिक्य/(व्यय का आय पर आधिक्य) का शेष (क-ख)

(5623983619)

(3862430826)

नामोद्दिष्ट निधि से/का स्थानांतरण

भवन निधि

अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष का पूंजीगत निधि में शामिल

(5623983619)

(3862430826)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

23

आकस्मिक देयताएं और नोट्स दू अकाउंट्स

24

डॉ. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
5/2/20

कापिल अग्र.
वित्त अधिकारी

काविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

	धनराशि ₹ में	
अनुसूची 1 -समग्र/पूँजीगत निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(16300485154)	(12634827345)
जोड़ें: योजना लेखा के समग्र/पूँजीगत निधि के प्रति अंशदान	----	----
जोड़ें: समग्र/ पूँजीगत निधि के प्रति अंशदान	----	----
जोड़ें: यू.जी.सी., भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का पूँजीगत व्यय हेतु एक सीमा तक उपयोग किया गया	----	----
(क) - योजना लेखा	1962696	55298928
(ख) - गैर-योजना लेखा	72895450	79959314
(घ) - गैर-योजना लेखा (पूँजीगत संपत्ति)	83892717	30384385
जोड़ें: उद्दिष्ट निधि में से क्रय की गई परिसंपत्तियां	158750863	165642627
(क) - विविध लेखा	14247900	15096229
(ख) - अन्य उद्दिष्ट निधि	52720896	4654189
जोड़ें: प्रयोजित परियोजनाओं से खरीदी/क्रय की गई परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व संस्था के पास ही हैं	60	785
जोड़ें: दान/उपहार स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियां	8529436	14486860
जोड़ें: बंद परियोजना द्वारा प्राप्त परिसंपत्तियां	1062234	9591730
जोड़ें: अन्य परिवर्धन	0	14487645
जोड़ें: अव्ययित शेष से संबन्धित समायोजन	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान बेची गई परिसंपत्तियों का ह्रासित मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	(75160)	(3107673)
जोड़ें: व्यय पर आय के आधिक्य को आय और व्यय खाते से अंतरण कर दिया गया	(5623983619)	(3862430826)
वर्ष के अंत में शेष	(21689232544)	(16300485154)

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इरशाद

कपिला अंगू
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

अनुसूची 2 - नामोद्दिष्ट/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

धनराशि ₹ में

विवरण	निधिवार ब्योरा				कुल	
	विविध लेखा	प्रकाशन	अक्षय निधियाँ	अन्य उद्दिष्ट	चालू वर्ष	गत वर्ष
क.						
क) प्रारंभिक शेष	838217219	6280670	908471328	5926085494	7679054711	6812347938
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	---	---	---	---	---	2810714
ग) निधियों से किए गए निवेशों से आय	25456258	300395	42537441	49514265	117808359	277041117
घ) निवेशों/अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज	36195832	103175	21703256	173251178	231253441	159211572
ड.) बचत बैंक खाता पर ब्याज	1044329	19120	1292459	14197671	16553579	8025623
च) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	239975295	1230	527564	826709793	1067213882	828117695
कुल (क)	1140888933	6704590	974532048	6989758401	9111883972	8087554659
ख.						
निधियों के प्रयोजनार्थ उपयोगिता/व्यय						
ii) पूंजीगत व्यय	14247900	---	---	52720896	66968796	19750418
iii) राजस्व व्यय	203343967	---	13640904	80767353	297752224	388749530
कुल (ख)	217591867	0	13640904	133488249	364721020	408499948
वर्ष के अंत में अंतिम शेष (क-ख)	923297066	6704590	960891144	6856270152	8747162952	7679054711
प्रस्तुतकर्ता						
नकद और बैंक शेष						
चालू खाता	18535545	---	---	---	18535544.5	12912664
बचत खाता	51229082	1184875	98801352	598990997	750206306	425422134
निवेश	18000000	300000	319800000	544900000	883000000	883000000
सावधि जमा	785248625	5075325	516043486	5443814088	6750181524	6095826020
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	36195832	79047	21703256	173731384	231709519	160242318
शेयर्स	---	---	83000	---	83000	83000
अन्य कर्ज़/अग्रिमों	7691353	---	---	45603382	53294735	39801488
यू.डी.एफ. से विविध को लोन	---	---	---	---	0	30000000
एल.सी. मार्जिन	---	---	---	---	0	0
विद्युत जमा	---	---	---	9409500	9409500	9409500
कर पर स्रोत कटौती की वापसी	6483435	65343	4460050	39820801	50829629	24027612
गैर योजनागत खाता	(86805)	---	---	---	(86805)	(1670025)
कुल	923297066	6704590	960891144	6856270152	8747162952	7679054711

प.स. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
22/11/19

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी
(4)

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय

31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची - 2 क अक्षय निधि

1.क्र.मां.क.	2.अक्षय निधि का नाम	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		कुल		9. वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	अंत शेष		कुल (10+11)
		3.अक्षय निधि	4.संचित ब्याज	5.अक्षय निधि	6.ब्याज	7.अक्षय निधि (3+5)	8.संचित ब्याज (4+6)		10.अक्षय निधि	11.संचित ब्याज	
1	सर शंकर लाल संगीत स्थान (298355)	2422949	344636	137195	68374	2560144	413010	38160	2560144	374850	2934994
2	श्री श्री राम चेयर इन फिजिक्स (298399)	7556240	2779370	519244	225811	8075484	3005181	0	8075484	3005182	11080665.5
3	श्री शंकर लाल चेयर इन कमेस्ट्री (298402)	8423532	3105820	519298	276208	8942830	3382028	30	8942830	3381998	12324828
4	आई.एफ.सी. चेयर इन फेकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीस (298683)	15048157	5536170	1111483	385284	16159640	5921454	0	16159640	5921454	22081094
5	एस.पी. जैन एडवांस्ड मैनेजमेंट रिसर्च (299041)	2078821	695072	100748	90139	2179569	785211	1	2179569	785211	2964779.5
6	पं. मन मोहन नाथ धर (298956)	1346119	494789	75895	56699	1422014	551488	0	1422014	551488	1973502
7	प्रोफेसरशिप इन इकनोमिक्स (298741)	13875946	5243848	847150	515852	14723096	5759700	0	14723096	5759700	20482796
8	पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंट इंसेक्ट (299416)	585717	199496	36856	18203	622573	217699	0	622573	217699	840272
9	डी.यू. अक्षय निधि (299733)	252474411	54344979	15467369	7427164	267941780	61772143	2158100	267941780	59614043	327555823
10	पं. मन मोहन कृष्ण कौल (299880)	1606344	588179	85512	75322	1691856	663501	0	1691856	663501	2355357
11	पुस्तक अनुदान आर.टी.एल.(300228)	295037416	74092703	15989164	10286949	311026580	84379652	11344581	311026580	73035071	384061651
12	डी.यू. एंम्बे प्रोफेसरशिप इन एंटर. डेव.(300705)	12223482	4166007	781038	353746	13004520	4519753	0	13004520	4519753	17524273
13	समूह नवाचार केंद्र समग्र निधि	108139103	33215190	7333028	3148890	115472131	36364080	30	115472131	36364051	151836182
14	एम.एच.आर.डी. आई.पी.आर. चेयर	488	6735	0	248	488	6983	0	488	6983	7471
15	भारतीय स्टेट बैंक छात्रवृत्ति (अग्रिम आर. पी. ए. छात्रवृत्ति) (46397)	2703214	136394	61025	66826	2764239	203220	100003	2664236	203220	2867456
कुल		723521939	184949389	43065005	22995715	766586944	207945103	13640905	766486941	194404203	960891144

टिप्पणियां

- कॉलम 3 और 4 का कुल, तुलनपत्र के फर्मिंग भाग के उद्दिष्ट निधि की अनुसूची-2 में अक्षय निधि कॉलम में प्रारंभिक शेष के रूप में दर्शाया जाएगा।
- कॉलम संख्या 9 का कुल सामान्यतः कॉलम सं.8 के कुल से कम होना चाहिए क्योंकि अक्षय निधियों (चेयर्स हेतु अक्षय निधि को छोड़कर) की वस्तु पर व्यय हेतु उपयोग किया जाने वाला केवल ब्याज है।
- अनुसूची में साधारणतः नाम शेष नहीं होना चाहिए। यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उद्दिष्ट निधि के प्रति नाम शेष है तो वह अनुसूची-8 ऋण, अग्रिम जमा के रूप में तुलनपत्र की परिसंपत्तियों में 'प्राप्तियों' में दर्शाया जाएगा।

उपकुलसचिव (वित्त)

5/3/20

(5)

वित्त अधिकारी

कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - चालू देयताएं और प्रावधान	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. चालू देयताएं		
1. स्टाफ से जमाएं	---	---
2. विद्यार्थियों से जमा	---	---
3. विविध लेनदार		
क) वस्तुओं हेतु	8003398	12277710
ख) अन्य	---	---
4. अन्य जमा (ई.एम.डी., प्रतिभूति जमा सहित)	420627	378068
5. सांविधिक देयताएं (जी.पी.एफ., टी.डी.एस., डब्ल्यू.सी. टैक्स, सी.पी.एफ., जी.आई.एस., एन.पी.एस.)		
क) अन्य निकायों की जमाएँ	1969425	4314496
ख) इयूटीज़ एवं टैक्सेस	2834378	799134
6. अन्य चालू देयताएं		
क) वेतन	---	---
ख) प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति प्राप्तियां	1690035093	1645776335
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्तियों के प्रति प्राप्तियां	107867697	86932037
घ) अप्रयुक्त अनुदान	6598118147	6076211611
ङ) यू.जी.सी.को वापस की जाने वाली धनराशि	63179787	24433545
च) अग्रिम अनुदान	---	---
छ) अन्य निधियां	305861331	114388107
ज) ए.सी.बी.आर. देयताएं	---	---
झ) अन्य देयताएं	35037107	8330586
कुल (क)	8813326989	7973841629
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	---	---
2. उपदान	1448548177	1371782081
3. अधिवर्षिता पेंशन	23644829981	19335915063
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण	1463038346	1211502217
5. ट्रेड वारंटी/दावे	---	---
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) देय खर्च	183890504	87030357
कुल (ख)	26740307008	22006229718
कुल (क+ख)	35553633997	29980071347

टिप्पणी: अप्रयुक्त अनुदान 6 (डी) अगले वर्ष अग्रिम रूप में प्राप्त अनुदान में शामिल होंगे।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इंटरनाल

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी
(6)

कनिता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 (क) प्रायोजित परियोजनाएं

1 क्रमांक	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक शेष		5 वर्ष के दौरान प्राप्तियां/वसूलियां	6 कुल	7 वर्ष के दौरान व्यय	अंत शेष	
		3	4				8	9
		क्रेडिट	डेबिट				क्रेडिट	डेबिट
1	अनुसंधान योजना लेखा (298650)	537285035		144850015	682135050	127748733	554386317	
2	आई.ए.एस.ई. योजना लेखा (शैक्षिक) (295853)	1088786		1148500	2237286	658134	1579152	
3	अनुसंधान योजना लेखा (एस.डी.सी.) (546386)	817957166		334911269	1152868435	301844726	851023709	
4	बी.आर.ए. परियोजना लेखा (298264)	61934785		27132722	89067507	35560620	53506887	
5	युवा अनुसंधान वैज्ञानिक लेखा (298593)	184730464		48037755	232768219	49549469	183218750	
6	सी.ई.एम.डी.ई. जैव विविधता पार्क (डी.डी.ए.)	42780099		90500199	133280298	86960020	46320278	
कुल		1645776335		646580460	2292356795	602321702	1690035093	
गत वर्ष		1499877620		775945163	2275822783	630046448	1645776335	

1. प्रत्येक एजेंसी हेतु उप-कुल सहित परियोजनाओं को एजेंसीवार सूचीकृत किया जाए।
2. कॉलम 8 (क्रेडिट) का कुल तुलनपत्र (अनुसूची 3) की देयताओं की ओर उपर्युक्त शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाए।
3. कॉलम 9 (डेबिट) का कुल तुलनपत्र में परिसंपत्तियों की ओर अनुसूची 8 ऋण, अग्रिम और जमा में "प्राप्तियों" के रूप में दर्शाया जाए।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
२२२१५

जापिल अग्र
वित्त अधिकारी

सविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 (ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियां छात्रवृत्तियां

1. क्रमांक	2. प्रायोजक का नाम	01.04.18 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान लेनदेन		31.03.19 को अंत शेष	
		3	4	5	6	7	8
		क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट
1	सी.एस.आई.आर. अध्येतावृत्ति (298413)	36160566		13148059	4211544	45097081	
2	यू.जी.सी. अध्येतावृत्ति (298560)	7195119		7112212	417072	13890259	
3	अन्य निकाय छात्रवृत्ति (298707)	39705330		43520783	38799107	44427006	
4	सी.एस.आई.आर. अध्येतावृत्ति (एस.डी.सी.) (545269)	41820		596551	283259	355112	
5	यू.जी.सी. अध्येतावृत्ति (एस.डी.सी.) (545258)	3829202		269686	649	4098239	
कुल		86932037	0	64647291	43711631	107867697	0
गत वर्ष		95731206	0	86599053	95398222	86932037	

टिप्पणी:

- कॉलम 7 (क्रेडिट) का कुल तुलनपत्र (अनुसूची 3) की देयताओं की ओर उपर्युक्त शीर्षक के अधीन दर्शाया जाएगा।
- कॉलम 8 (डेबिट) का कुल अनुसूची 8 (ऋण, अग्रिम और जमाएं) में तुलनपत्र में परिसंपत्तियों की ओर "प्राप्तियों" में दर्शाया जाएगा।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
द्वारा

कमल अग्रि
वित्त अधिकारी

नाबिता शर्मा
कोषाध्यक्ष

अनुसूची 3 (सी) यू.जी.सी., भारत सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. योजनागत अनुदान : भारत सरकार		
अधोनीत शेष		
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
	कुल (क)	0
घटाएं : प्रतिदाय		
घटाएं : राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त		
घटाएं : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त		
	कुल (ख)	0
अप्रयुक्त अग्नेनीत (क-ख)	0	0
ख. यू.जी.सी. अनुदान योजनागत		
अधोनीत शेष	5790807813	5587750339
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	538293420	285864306
	कुल (ग)	6329101233
घटाएं : प्रतिदाय	0	
घटाएं : राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	16693601	27507904
घटाएं : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	1962696	55298928
	कुल (घ)	18656297
अप्रयुक्त अग्नेनीत (ग-घ)	6310444936	5790807813

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इरराप

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

धनराशि ₹ में

ग. यू.जी.सी. अनुदान गैर योजनागत

अधोनीत शेष

जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्तियां

कुल (ड.)

5738824000 5312400000

घटाएं : प्रतिदाय

घटाएं : राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त

घटाएं : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त

कुल (च)

5738824000 5312400000

अप्रयुक्त शेष अग्रेनीत (ड-च)

घ. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान (पूंजीगत संपत्ति)

अधोनीत शेष

जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्तियां

कुल (छ)

285403798 0

घटाएं : प्रतिदाय

घटाएं : राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त

घटाएं : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त

कुल (ज)

110000000 321500000

395403798 321500000

0 0

23837870 5711817

83892717 30384385

107730587 36096202

अप्रयुक्त शेष अग्रेनीत (छ-ज)

कुल योग : क+ख+ग+घ

287673211 285403798

6598118147 6076211611

टिप्पणी:

- पूंजीगत खाते पर अग्रिम सहित अप्रयुक्त अनुदान
- अगले वर्ष हेतु अग्रिम रूप से प्राप्त अनुदान सहित अप्रयुक्त अनुदान
- अप्रयुक्त अनुदानों को बैंक बैलेंस बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा और पूंजीगत खाते पर अग्रिम द्वारा परिसंपत्तियों की ओर दर्शाया जाता है।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इरवादा

कापिल अग्रो
वित्त अधिकारी

कविता रानी
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4- स्थायी परिसंपत्तियां

धनराशि ₹ में

क्रमांक	परिसंपत्तियां शीर्ष	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यहास	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.
1	भूमि		19716892	0	0	19716892		0	19716892	19716892
2	स्थल विकास/ लघु कार्य		0	0	0	0		0	0	0
3	भवन	5%	3141824501	49284022	0	3191108523	0	159555426	3031553097	3141824501
4	सड़क और पुल		0	0	0	0		0	0	0
5	नलकूप और जल आपूर्ति		0	0	0	0		0	0	0
6	सीवरेज और जलनिकासी		0	0	0	0		0	0	0
7	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण		0	0	0	0		0	0	0
8	संयंत्र और मशीनरी	20%	175630358	41867220	60266	217437312		43487462	173949850	175630358
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	40%	137142883	67632499	3307	204772075		81908830	122863245	137142883
10	कार्यालय उपकरण		0	0	0	0		0	0	0
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	50%	1044980	895424	4	1940400		970200	970200	1044980
12	कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	40%	115751071	32287215	10432	148027854		59211141	88816713	115751070
13	फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग	25%	66813892	16334204	778	83147318		20786830	62360488	66813892
14	खेल सामग्री	50%	7193	0	0	7193		3597	3596	7193
15	वाहन	25%	760457	0	0	760457		190114	570343	760457
16	पुस्तकालयों की पुस्तकें और वैज्ञानिक जरनल्स	50%	40201694	25655409	373	65856729		32928365	32928364	40201694
17	कम मूल्य की परिसंपत्तियां		0	0	0	0		0	0	0
18	कलाकृति		3310000	0	0	3310000		0	3310000	3310000
कुल (क)			3702203920	233955992	75160	3936084753	0	399041965	3537042788	3702203920
19	पूंजीगत वर्क-इन-प्रोग्रेस (ख)		122872429	0	0	122872429		0	122872429	122872429
क्रमांक	अमूर्त परिसंपत्तियां	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यहास	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.
20	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	1378738	293162	0	1671900		668760	1003140	1378738
21	ई-जरनल्स	25%	0	0	0	0		0	0	0
22	पेटेंट्स	25%	19373	0	0	19373		4843	14530	19373
कुल (ग)			1398111	293162	0	1691274	0	673603	1017670	1398111
कुल योग (क+ख+ग)			3826474460	234249154	75160	4060648456	0	399715568	3660932888	3826474460
गतवर्ष (2018-19)			5370366518	4142834138	3946061121	5567139535	1298098067	442567008	3826474460	

टिप्पणी: कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शीर्ष के प्रति सकल ब्लॉक के तहत 'कटौतियां' कॉलम में आंकड़े वर्ष के दौरान वर्क इन प्रोग्रेस से अंतरण दर्शाता है। परिसंपत्तियां 1 से 14 के प्रति सकल ब्लॉक के तहत वर्ष के दौरान 'जोड़' कॉलम में आंकड़ों में वर्ष के दौरान वर्क इन प्रोग्रेस के साथ वर्ष के दौरान आगे अधिग्रहण से अंतरण शामिल है।

प्र. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
२२/३/२०

कपिला अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कनिका शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 क- योजनागत

धनराशि ₹ में

क्रमांक	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियाँ/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यहास	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.
1	भूमि		0	0	0	0		0	0	0
2	स्थल विकास/ लघु कार्य		0	0	0	0		0	0	0
3	भवन	5%	694979545	0	0	694979545	0	34748977	660230568	694979545
4	सड़क और पुल		0	0	0	0		0	0	0
5	नलकूप और जल आपूर्ति		0	0	0	0		0	0	0
6	सीवरेज और जलनिकासी		0	0	0	0		0	0	0
7	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण		0	0	0	0		0	0	0
8	संयंत्र और मशीनरी	20%	75656034	85349	0	75741383		15148277	60593106	75656034
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	40%	87553136	1601545	0	89154681		35661872	53492809	87553136
10	कार्यालय उपकरण		0	0	0	0		0	0	0
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	50%	238878	0	0	238878		119439	119439	238878
12	कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	40%	89683880	31415	2292	89713003	0	35885201	53827802	89683880
13	फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग	25%	21905318	0	0	21905318		5476330	16428988	21905318
14	खेल सामाग्री	50%	0	0	0	0		0	0	0
15	वाहन	25%	231794	0	0	231794		57949	173845	231794
16	पुस्तकालयों पुस्तकें और वैज्ञानिक जरनल्स	50%	4441287	244387	0	4685674		2342837	2342837	4441287
17	कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ		0	0	0	0		0	0	0
18	कलाकृति		1310000	0	0	1310000		0	1310000	0
कुल (क)			975999872	1962696	2292	977960276	0	129440882	848519394	974689872
19	पूँजीगत वर्क-इन-प्रोग्रेस (ख)		121623684	0	0	121623684		0	121623684	121623684

क्रमांक	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियाँ/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यहास	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.
20	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	0	0	0	0		0	0	0
21	ई-जरनल्स	25%	0	0	0	0		0	0	0
22	पेटेंट्स	25%	8167	0	0	8167		2042	6125	8167
कुल (ग)			8167	0	0	8167		2042	6125	8167
कुल योग (क+ख+ग)			1097631723	1962696	2292	1099592127	0	129442924	970149203	1096321723
गतवर्ष (2018-19)			1435368163	737971426	684059218	1489280371	205936831	185711817	1097631723	

एस. डार
उपकुलसचिव (वित्त)
इं. 2014

कपिला अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कमल रानी
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 ख गैर-योजनागत (आवर्ती)

क्रमांक	परिसंपत्तियां शीर्ष	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/विक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	धनराशि ₹ में	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.
1	भूमि		19716892	0	0	19716892	0	19716892		19716892
2	स्थल विकास/ लघु कार्य		0	0	0	0	0	0		0
3	भवन	5%	314331463	2718802	0	317050265	15852513	301197752		314331463
4	सड़क और पुल		0	0	0	0	0	0		0
5	नलकूप और जल आपूर्ति		0	0	0	0	0	0		0
6	सीवरेज और जलनिकासी		0	0	0	0	0	0		0
7	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण		0	0	0	0	0	0		0
8	संयंत्र और मशीनरी	20%	57218722	14614175	60266	71772631	14354526	57418105		57218722
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	40%	16571606	15824250	3307	32392549	12957020	19435529		16571606
10	कार्यालय उपकरण		0	0	0	0	0	0		0
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	50%	534091	189148	4	723235	361618	361617		534091
12	कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	40%	14557345	8279566	8140	22828771	9131508	13697263		14557345
13	फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग	25%	35958013	5795317	778	41752552	10438138	31314414		35958013
14	खेल सामग्री	50%	7170	0	0	7170	3585	3585		7170
15	वाहन	25%	528661	0	0	528661	132165	396496		528661
16	पुस्तकालयों पुस्तकें और वैज्ञानिक जर्नल्स	50%	34114558	25302972	373	59417157	29708579	29708578		34114558
17	कम मूल्य की परिसंपत्तियां		0	0	0	0	0	0		0
18	कलाकृति		0	0	0	0	0	0		0
कुल (क)			493538521	72724230	72868	566189883	92939651	473250232		493538521
19	पूंजीगत वर्क-इन-प्रोग्रेस (ख)		0	0	0	0	0	0		0

क्रमांक	अमूर्त परिसंपत्तियां	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/विक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.	
20	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	1206430	171220	0	1377650	551060	826590		1206430
21	ई-जर्नल्स	25%	0	0	0	0	0	0		0
22	पेटेंट्स	25%	7493	0	0	7493	1873	5620		7493
कुल (ग)			1213923	171220	0	1385143	552933	832210		1213923
कुल योग (क+ख+ग)			494752444	72895450	72868	567575026	93492584	474082442		494752444
गतवर्ष (2018-19)			515739989	79959314	1720953	593978350	99225906	494752444		

उपकुलसचिव (वित्त)
इरशाद

कार्यपालक
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 ख(2) पूंजीगत संपत्ति

क्रमांक	परिसंपत्तियां शीर्ष	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	धनराशि ₹ में	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.
1	भूमि		0	0		0	0	0		0
2	स्थल विकास/ लघु कार्य		0	0		0	0	0		0
3	भवन	5%	0	3190129		3190129	159506	3030623		0
4	सड़क और पुल		0	0		0	0	0		0
5	नलकूप और जल आपूर्ति		0	0		0	0	0		0
6	सीवरज और जलनिकासी		0	0		0	0	0		0
7	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण	30%	0	0		0	0	0		0
8	संयंत्र और मशीनरी	20%	4392916	18789531		23182447	4636489	18545958		4392916
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	40%	7093626	35086683		42180309	16872124	25308185		7093626
10	कार्यालय उपकरण		0	0		0	0	0		0
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	50%	164755	690186		854941	427471	427470		164755
12	कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	40%	7264322	22753900		30018222	12007289	18010933		7264322
13	फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग	25%	0	3188426		3188426	797107	2391319		0
14	खेल सामग्री	50%	0	0		0	0	0		0
15	वाहन	25%	0	0		0	0	0		0
16	पुस्तकालयों पुस्तकें और वैज्ञानिक जरनल्स	50%	316908	94600		411508	205754	205754		316908
17	कम मूल्य की परिसंपत्तियां		0	0		0	0	0		0
18	कलाकृति		0	0		0	0	0		0
कुल (क)			19232527	83793455	0	103025982	35105740	67920242		19232527
19	पूंजीगत वर्क-इन-प्रोग्रेस (ख)		0	0		0	0	0		0

क्रमांक	अमूर्त परिसंपत्तियां	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू. डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू. डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू. डी. वी.	
20	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	0	99262		99262	39705	59557		0
21	ई-जरनल्स	25%	0	0		0	0	0		0
22	पेटेंट्स	25%	0	0		0	0	0		0
कुल (ग)			0	99262	0	99262	39705	59557		0
कुल योग (क+ख+ग)			19232527	83892717	0	103125244	35145445	67979799		19232527
गतवर्ष (2018-19)			0	30384385	0	30384385	11151858	19232527		

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इ.स.साद

कौपल अरु.
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 ग- अमूर्त संपत्ति

धनराशि ₹ में

क्रमांक	परिसंपत्तियां शीर्ष	मूल्यह्रास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	वर्ष में मूल्यह्रास	31.03.20 को डबल्यू डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू डी. वी.
1	पेटेंट्स एवं कॉपीराइट्स	25%	19373	0	0	19373	4843	14530	19373
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	1378738	293162	0	1671900	668760	1003140	1378738
3	ई-जरनल्स	25%	0	0	0	0	0	0	0
कुल			1398111	293162	0	1691273	673603	1017670	1398111
गतवर्ष (2018-19)			2190247	133481	0	2323728	925617	1398111	

एस. उ. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
इ.स. 2019

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4(ग) (i) पेटेंट और कॉपीराइट्स

धनराशि ₹ में

विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़	सकल	ऋण परिशोधन	निवल ब्लॉक	
					20.....	20.....
क. स्वीकृत पेटेंट्स						
1. वर्ष 20019-20 में प्राप्त पेटेंटों का दि.31.03.20 को बैलेंस (वास्तविक मूल्य रु.)	---	---	---	---	---	---
2. वर्ष 2019-20 में प्राप्त पेटेंटों का दि. 31.03.20 को बैलेंस (वास्तविक मूल्य रु.)	---	---	---	---	---	---
3. वर्ष 2019-20 में प्राप्त पेटेंटों का दि. 31.03.20 को बैलेंस (वास्तविक मूल्य रु.)	---	---	---	---	---	---
4. चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत पेटेंट	---	---	---	---	---	---
कुल	---	---	---	---	---	---
विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़	सकल	स्वीकृत/ अस्वीकृत	निवल ब्लॉक 20.....	निवल ब्लॉक 20.....
ख. पेटेंट के संबंध में लंबित पेटेंट के लिए आवेदन						
1. वर्ष से के दौरान किए गए व्यय	---	---	---	---	---	---
2. वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय	---	---	---	---	---	---
3. वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय	---	---	---	---	---	---
कुल	---	---	---	---	---	---
ग. कुल योग (क+ख)	---	---	---	---	---	---

नोट: भाग 'ए' (स्वीकृत पेटेंटों) में जोड़ वर्ष के दौरान स्वीकृत पेटेंटों की संख्या भाग 'बी' (कॉलम - स्वीकृत/अस्वीकृत पेटेंटों) से अंतरित होगी। वर्ष के दौरान अनुदान से रिजेक्टेड धनराशि का आय एवं व्यय खाता में बट्टे खाता में डाला जाता है।

एस. प्रो. श्री
उपकुलसचिव (वित्त)
इ.स. 2020

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 4 घ-अन्य

क्रमांक	परिसंपत्तियां शीर्ष	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यहास	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू डी. वी.	धनराशि ₹ में
1	भूमि		0	0	0	0		0	0	0	
2	स्थल विकास/ लघु कार्य		0	0	0	0		0	0	0	
3	भवन	5%	2132513493	43375091	0	2175888584	0	108794429	2067094155	2132513493	
4	सड़क और पुल		0	0	0	0		0	0	0	
5	नलकूप और जल आपूर्ति		0	0	0	0		0	0	0	
6	सीवररेज और जलनिकासी		0	0	0	0		0	0	0	
7	विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण		0	0	0	0		0	0	0	
8	संयंत्र और मशीनरी	20%	38362686	8378165	0	46740851		9348170	37392681	38362686	
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	40%	25924514	15120021	0	41044535		16417814	24626721	25924514	
10	कार्यालय उपकरण		0	0	0	0		0	0	0	
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	50%	107254	16090	0	123344		61672	61672	107254	
12	कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	40%	4245524	1222334	0	5467858		2187143	3280715	4245524	
13	फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग	25%	8950560	7350461	0	16301021		4075255	12225766	8950560	
14	खेल सामग्री	50%	23	0	0	23		12	11	23	
15	वाहन	25%	1	0	0	1		0	1	1	
16	पुस्तकालयों पुस्तकें और वैज्ञानिक जरनल्स	50%	1328937	13451	0	1342388		671194	671194	1328937	
17	कम मूल्य की परिसंपत्तियां		0	0	0	0		0	0	0	
18	कलाकृति		2000000	0	0	2000000		0	2000000	2000000	
	कुल (क)		2213432992	75475612	0	2288908605	0	141555689	2147352915	2213432992	
19	पूँजी वर्क इन प्रोग्रेस		1248745	0	0	1248745		0	1248745	1248745	
क्रमांक	अमूर्त परिसंपत्तियां	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में डबल्यू डी. वी.	वर्ष में की गई वृद्धि	वर्ष के दौरान में कटौतियां/बिक्री	वर्ष के अंत में लागत /मूल्य	पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यहास	वर्ष में मूल्यहास	31.03.20 को डबल्यू डी. वी.	31.03.19 को डबल्यू डी. वी.	धनराशि ₹ में
20	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	172309	22680	0	194989		77996	116993	172309	
21	ई-जरनल्स	25%	0	0	0	0		0	0	0	
22	पेटेंट्स	25%	3712	0	0	3712		928	2784	3712	
	कुल (ग)		176021	22680	0	198701	0	78924	119777	176021	
	कुल योग (क+ख+ग)		2214857758	75498292	0	2290356050	0	141634613	2148721437	2214857758	

नोट: वर्ष के दौरान एडीशनल में निम्न में एडीशन शामिल हैं:

उपहार	60
बंद परियोजनाएं	8529436
विविध निधियां	14247900
उद्दिष्ट निधियां	52720896
कुल	75498292

उपकुलसचिव (वित्त)

३२१११५

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता राणा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 5: उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में	883000000	883000000
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियों में	----	----
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	----	----
4. शेयरों	83000	83000
5. डिबेंचर और बॉन्ड्स	----	----
6. बैंकों में सावधि जमा	----	----
7. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	----	----
कुल	883083000	883083000

एस. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
ईरशाद

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी

कबिता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 (क)-उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश (निधिवार)

क्रमांक	निधियां	धनराशि ₹ में	
		चालू वर्ष	गत वर्ष
1	विविध लेखा-सरकारी प्रतिभूतियां	18000000	18000000
2	प्रकाशन- सरकारी प्रतिभूतियां	300000	300000
3	अक्षय निधि- सरकारी प्रतिभूतियां	319800000	319800000
4	विविध अक्षय निधि- सरकारी प्रतिभूतियां	544900000	544900000
5	अक्षय निधि- शेयर्स	83000	83000
कुल		883083000	883083000

नोट: इस उप सूची में कुल अनुसूची 5 में कुल से सहमत होंगे।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इरहाद

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची-6 निवेश - अन्य	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में	----	----
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियों में	----	----
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	----	----
4. शेयर्स	----	----
5. डिबेंचर और बॉन्ड्स	----	----
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाएगा)	----	----
कुल	----	----

एस. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
इरशाद

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष	धनराशि ₹ में गत वर्ष
1. स्टॉक		
क. स्टोर्स और पुर्जे	----	----
ख. फुटकर औजार	----	----
ग. प्रकाशन	----	----
घ. रसायन प्रयोगशाला, उपभोग्य एवं कांच के पदार्थ	----	----
ङ. भवन निर्माण सामग्री	----	----
च. विद्युत सामग्री	----	----
छ. लेखन सामग्री	5957925	7236511
ज. जल निकासी सामग्री	----	----
झ. वर्दी	----	----
ञ) दवाइयाँ	8657151	10235191
ट) उत्तर पत्रिका	1354312	5127131
2. विविध देनदार		
क. छह महीने से अधिक की अवधि की अवधि हेतु बकाया ऋण	----	----
ख. अन्य	10381027	8941820
3. नकद और बैंक बैलेंस (शेष)		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में	131513570	102222076
- सावधि जमा खाते में	11698773012	12388074281
- बचत खाते में	3126403359	1221087686
ख. गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
- सावधि जमा खाते में	----	----
- बचत खाते में	----	----
ग. हाथ में रोकड़ शेष (चैक, ड्राफ्ट सहित)	927600	937600
4. पोस्ट ऑफिस बचत खाता	----	----
कुल	14983967956	13743862296

नोट: अनुबंध 'क' बैंक खातों के विवरण दर्शाता है।

प्र. 312
उपकुलसचिव (वित्त)
इ.स. 2020

कपिल अग्र०
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

		संलग्नक-'क' धनराशि ₹ में	
I. चालू बैंक खाता		चालू वर्ष	गत वर्ष
1	बी.आर. अम्बेडकर सेंटर सामान्य निधि खाता	1012907	236000
2	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाता	87355	2907408
3	एस.बी.आई. विधि केंद्र- II	134017	134017
4	एस.बी.आई. एम.जी.-I	17902670	14774149
5	एस.बी.आई. एम.जी.-II	427286	92990
6	एस.बी.आई. एम.जी.-III	24715847	25567528
7	एस.डी.सी. परीक्षा खाता	31974909	35580154
8	एस.डी.सी. सामान्य खाता	26627168	5394655
9	प्रायोजित परियोजना निधि खाता	1579153	1088787
10	योजना चालू खाता	8516713	3533724
11	उद्दिष्ट निधि चालू खाते	18535545	12912664
कुल		131513570	102222076
II. बचत खाता			
1	बाहरी उम्मीदवार प्रकोष्ठ खाता	5971807	1203472
2	एन.सी.इन्व्यू ई.बी. खाता	52548029	16502238
3	एस.बी.आई. विभागीय प्राप्ति खाता	16611381	7044196
4	एस.बी.आई. सामान्य निधि खाता	130787748	22311911
5	एस.बी.आई. चिकित्सा प्रतिपूर्ति खाता	4508288	1761872
6	प्रायोजित परियोजना बैंक खाता	649881330	325521253
7	प्रायोजित फेलोशिप एवं छत्रवृत्ति खाता	79783341	88714879
8	योजना बचत खाता	286458120	39737770
9	उद्दिष्ट निधि बचत खाता	750206306	425422134
10	यू.जी.सी. को प्रतिदेय सी.पी.एफ. खाता	29743115	106089
11	आई.डी.बी.आई. खाता	3048646	790661
12	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाता	171598118	4954220
13	आवर्ती खाता (36321)	304083753	84649474
14	आई.सी.आई.सी.आई. (परीक्षा) खाता	10326026	3268779
15	पूँजीगत संपत्ति खाता (36467)	179794665	136690389
16	वेलन खाता (11307)	451052686	62408349
कुल		3126403359	1221087686
III. सावधि जमा खाता			
1	उद्दिष्ट निधि से सावधि जमा	6750181524	6095826020
2	यू.जी.सी. को प्रतिदेय खाता से सावधि जमा	121874	24169694
3	ए.सी.बी.आर. खाता से सावधि जमा	1102166	918073
4	अनुरक्षण अनुदान खाता से सावधि जमा	0	1230000000
5	प्रायोजित परियोजना बैंक खाता	898197075	1135737205
6	प्रायोजित फेलोशिप एवं छत्रवृत्तियाँ	25000000	25000000
7	योजना खाता से सावधि जमा (मार्जिन मनी सहित)	4024170373	3867423289
8	आई.सी.आई.सी.आई. से सावधि जमा	0	9000000
9			
कुल		11698773012	12388074281

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
12.2.19

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी

कविता राणा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - ऋण, अग्रिम एवं जमा	धनराशि ₹ में
	गत वर्ष
1. कर्मचारियों के लिए अग्रिम (गैर-सब्याज)	चालू वर्ष
क) वेतन	---
ख) त्योहार	70762
ग) चिकित्सा अग्रिम	---
घ) छुट्टी यात्रा रियायत	---
ङ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	8476132
2. कर्मचारी हेतु दीर्घवधि अग्रिम (सब्याज)	---
क) वाहन ऋण/कम्प्यूटर	181830
ख) आवास ऋण/गृह निर्माण अग्रिम	65230
ग) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	---
3. नकद में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य धनराशि अथवा अन्य प्रकार से अथवा मूल्य में प्राप्त की जाए	---
क) पूंजीखाते पर	---
ख) आपूर्तिकर्ताओं के लिए	---
ग) दिल्ली विश्वविद्यालय पेंशन खाता	2980000
घ) दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस	17395000
ङ) सर शंकर लाल घेयर इन कम्पेस्ट्री लिपि खाता	1100000
च) उद्दिष्ट लिपियों में से अन्य अग्रिम	52547675
छ) अनुरक्षण अनुदान में से अन्य अग्रिम	498693117
ज) प्रायोजित परियोजना में से अन्य अग्रिम	81877029
झ) योजना खाता में से अग्रिम	1811755584
ञ) अन्य	91865495
4. पूर्व प्रदत्त व्यय	---
क) बीमा	---
ख) अन्य खर्च	39318703
5. जमा	---
क) टेलीफोन	---
ख) पट्टा किराया	---
ग) विपुल	20805300
घ) ए.आई.सी.टी.ई., यदि लागू हो	---
ङ) डी.ई.एस.यू. (प्रतिभूति)	4795
च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	202373
6. प्रोद्भूत आय	---
क) उद्दिष्ट/अक्षय लिपि से निवेश पर	231709518
ख) ए.सी.बी.आर./यू.जी.सी. प्रतिदेय खाता से निवेश पर	---
ग) यू.जी.सी. को प्रतिदेय सी.पी.एफ. खाता से निवेश पर	7734
घ) प्रायोजित योजना से निवेश पर	66138832
ङ) प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ	2904936
च) योजना से निवेश पर	153036150
छ) अनुरक्षण अनुदान से निवेश पर	1610924
ज) ऋण और अग्रिम पर	---
झ) अन्य (अप्राप्त्य के कारण आय शामिल)	695347
7. अन्य - यू.जी.सी./प्रायोजित परियोजनाओं में प्राप्त्य चालू परिसंपत्तियाँ	---
क) प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष	---
ख) प्रायोजित अप्पेतावृत्ति और छात्रवृत्ति में डेबिट शेष	---
ग) प्राप्त्य अनुदान	---
घ) प्राप्त अन्य	138095
8. प्राप्त्य दावा	---
कुल	3083580561
	2905221148

नोट: यदि परिक्रामी धनराशि कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण, कंप्यूटर और वाहन अग्रिम हेतु निमित्त की गई है, तो अग्रिम उद्दिष्ट/अक्षय लिपियों के हिस्से के रूप में दिखाई देगी। इन सब्याज अग्रिमों के प्रति बेलेंस इस अनुसूची में दिखाई नहीं देगा।

उपकुलसचिव (वित्त)
5/2/19

कपिल अग्र०
वित्त अधिकारी
(23)

कविता राजा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - शैक्षणिक प्राप्तियाँ	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	
छात्रों से फीस	गत वर्ष	
शैक्षणिक		
1. शिक्षा शुल्क	14431892	11047415
2. प्रवेश शुल्क	8946570	8597053
3. नामांकन शुल्क	69629101	47170557
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	8869797	7605517
5. प्रयोगशाला शुल्क	187436	274235
6. खेल एवं एथलेटिक एसोसिएशन शुल्क	7811581	10984310
7. कम्प्यूटर शुल्क	-----	-----
8. कला और शिल्प शुल्क	-----	-----
9. पंजीकरण शुल्क	90353470	142660599
10. पाठ्य विवरण शुल्क	-----	-----
11. अन्य शुल्क	52809971	41099472
कुल (क)	253039818	269439158
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-----	-----
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	720096004	564257945
3. अंकपत्र, प्रमाणपत्र शुल्क	21542336	28239228
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	47555402	58748560
कुल (ख)	789193742	651245733
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	-----	-----
2. जुर्माना/विविध शुल्क	-----	-----
3. चिकित्सा शुल्क	-----	-----
4. परिवहन शुल्क	-----	-----
5. छात्रावास शुल्क	-----	-----
कुल (ग)	0	0
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश फार्म की बिक्री	-----	-----
2. पाठ्यविवरण और प्रश्नपत्र इत्यादि की बिक्री	-----	-----
3. प्रवेश पत्र के साथ विवरणिका की बिक्री	107760	33690
कुल (घ)	107760	33690
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशाला कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-----	-----
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कॉलेज)	-----	-----
कुल (ड.)	0	0
कुल योग (क+ख+ग+घ+ड.)	1042341319	920718581

एस.एस.आर
उपकुलसचिव (वित्त)
इ-2/14

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त लावसूल अनुदान)

विवरण	भारत सरकार	योजना		कुल योजना	गैर योजना यू.जी.सी.		गैर योजना कुल	चालू वर्ष का कुल	धनराशि ₹ में पिछला वर्ष का कुल
		योजना	यू.जी.सी. विशिष्ट योजनाएं		पूँजीगत संपत्ति	आवर्ती/वेतन अनुदान			
अधोनीत शेष		5790807813	0	5790807813	285403798	0	285403798	6076211611	5587750339
जोड़ें: वर्ष के दौरान की प्राप्तियां		538293420	0	538293420	110000000	5738824000	5848824000	6387117420	5919764306
	कुल	6329101233	0	6329101233	395403798	5738824000	6134227798	12463329031	11507514645
घटाएं: यू.जी.सी. शेष की वापसी		0	0	0	0	0	0	0	0
घटाएं: पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त (क)		1962696	0	1962696	83892717	72895450	156788167	158750863	165642627
शेष		6327138537	0	6327138537	311511081	5665928550	5977439631	12304578168	11341872018
अल्प: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त (ख)		16693601	0	16693601	23837870	5665928550	5689766420	5706460022	5265660407
शेष धनराशि सी/एफ (ग)		6310444936	0	6310444936	287673211	0	287673211	6598118147	6076211611

क) वर्ष के दौरान पूँजी निधि के परिवर्धन के साथ-साथ अचल संपत्तियों के परिवर्धन के रूप में प्रतीत होता है।

ख) आय और व्यय खाते में आय के रूप में प्रतीत होती है।

ग) (i) तुलनपत्र में चालू देनदारियों के तहत प्रतीत होता है और अगले वर्ष प्रारंभिक शेष के रूप में हो जाएगा।

(ii) परिसंपत्तियों की तरफ निवेशों और अग्रिमों को बैंक बैलेंसों द्वारा दर्शाया गया।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इंशान

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - निवेश से आय	उद्दिष्ट/अक्षय निधि		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	----	----	----	----
ख. अन्य बॉन्ड्स/डिबेंचर	----	----	----	----
2. सावधि जमा पर ब्याज	349061800	436252689	272716669	52734780
3. प्राद्वत आय लेकिन कर्मचारियों के सावधि जमा धनराशियों/सब्याज अग्रिमों पर देय नहीं	----	----	----	----
4. बचत बैंक खातों पर ब्याज	16553579	8025623	----	----
5. अन्य (विशेष ब्योरा दें)	----	----	----	----
कुल	365615379	444278312	272716669	52734780

उद्दिष्ट/अक्षय निधि फंड हेतु अंतरण किया गया

365615379

444278312

नोट: प्रोद्वत ब्याज लेकिन एच.बी.ए. निधि वाहन अग्रिम निधि और कंप्यूटर अग्रिम निधि से सावधि जमा पर देय नहीं है और कर्मचारियों के सब्याज अग्रिम यहां (मद 3) शामिल होंगे, ऐसे अग्रिमों हेतु केवल जहां परिक्रामी निधियों (इ.एम.एफ.) की स्थापना की गई।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
३१/३/२०

कपिला अग्रिम
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 12: अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	धनराशि ₹ में गत वर्ष
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	15030915	57188754
2. ऋण पर		
क) कर्मचारियों/स्टाफ	-----	-----
ख) अन्य	-----	-----
3. देनदार और अन्य प्राप्यों पर	-----	-----
कुल	15030915	57188754

नोट :

1. उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के बैंक खातों के संबंध में मद 1 के अंतर्गत धनराशि, अनुसूची 11 (पहला हिस्सा) तथा अनुसूची 2 में दर्शाना होता है।
2. यदि ऐसे अग्रिमों हेतु परिक्रामी निधियां स्थापित नहीं की गईं तब मद 2(क) लागू होता है।

एस. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
इ.स. 2020

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अन्य आय

विविध आय में शामिल सामग्री धनराशि के मदों को अलग से दिखाया जाना चाहिए।

क. भूमि एवं भवन से आय	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. भवन किराया/भूमि इत्यादि	2097900	3135068
2. लाइसेंस शुल्क	27090979	21238721
3. सभागार/खेल का मैदान सम्मेलन केंद्र इत्यादि के किराया शुल्क	-----	-----
4. वसूल - बिजली शुल्क	-----	-----
5. वसूल - जल शुल्क	-----	-----
कुल (क)	29188879	24373789
ख. संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री	-----	-----
ग. धारित परिसंपत्तियों से आय		
1. वार्षिक समारोह/खेलकूद आनंदोत्सव निवल से सकल प्राप्ति	-----	-----
घटाएं: वार्षिक समारोह/खेलकूद आनंदोत्सव पर वहन किए गए प्रत्यक्ष व्यय	-----	-----
2. उत्सवों से सकल प्राप्ति	-----	-----
घटाएं: उत्सवों पर वहन किए गए प्रत्यक्ष व्यय	-----	-----
3. शैक्षिक पर्यटन हेतु सकल प्राप्ति	-----	-----
घटाएं: पर्यटन पर वहन किए गए प्रत्यक्ष व्यय	-----	-----
4. अन्य (विनिर्दिष्ट एवं अलग से दिखाया जाए)	-----	-----
कुल (ग)	0	0
घ. अन्य		
1. परामर्श से आय	-----	-----
2. आर.टी.आई. शुल्क	14329	110261
3. रॉयल्टी से आय	-----	-----
4. आवेदन फार्म (नियुक्ति) की बिक्री	0	451351
5. विविध प्राप्ति/निविदा फार्म, रद्दी कागज इत्यादि की बिक्री	1522039	1175700
6. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	-----	-----
क) निजी परिसंपत्तियां	-----	-----
ख) मुक्त परिसंपत्ति प्राप्त नि:शुल्क परिसंपत्तियां	-----	-----
7. संस्थान, कल्याण निकायों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान/दान	-----	-----
8. स्वास्थ्य केंद्र के लिए योगदान	54420692	51524801
9. अन्य (विशेष ब्योरा दें)	21171364	5870414
कुल (घ)	77128425	59132527
कुल योग (क+ख+ग+घ)	106317304	83506316

प्रस. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
अ. साद

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 14 – पूर्व अवधि आय

विवरण	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. शैक्षणिक प्राप्तियाँ	----	----
2. निवेश से आय	----	----
3. अर्जित आय	----	----
4. अन्य आय	----	----
कुल	0	0

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
द्वारा

कपिल अग्र.
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 15 – कर्मचारियों को भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)

इन्हें शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी हेतु अलग से वर्गीकृत किया जाएगा। वेतन वृद्धि के कारण डी.ए. की बकाया धनराशि, वेतन की बकाया धनराशि को अलग से दर्शाया जाएगा।

विवरण	चालू वर्ष			गत वर्ष			धनराशि ₹ में
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	
क) वेतन और मजदूरी							
i) शिक्षक	---	1943669644	1943669644	0	1665314377	1665314377	
ii) गैर-शिक्षक	7264412	1081678575	1088942987	6294106	1077805581	1084099687	
iii) लोअर अधीनस्थ कर्मचारियों के	122701	273301735	273424436	352305	240175343	240527648	
ख) भत्ते और बोनस	---	---	0	---	---	0	
ग) भविष्य निधि में अंशदान	---	15745642	15745642	---	6442384	6442384	
घ) अन्य निधि (विशेष व्योरा दें) में अंशदान	---	---	0	---	---	0	
ङ) कर्मचारी कल्याण खर्च(वर्दी)	---	46320	46320	---	1001789	1001789	
च) सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	997452	6959510531	6960507983	---	3406519947	3406519947	
छ) छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा	---	15368845	15368845	13942	59922709	59936651	
ज) चिकित्सा सुविधा	---	170629572	170629572	10913	155566493	155577406	
झ) संतान शिक्षा भत्ता	---	20576109	20576109	0	9922635	9922635	
ञ) मानदेय	---	92459508	92459508	0	52076684	52076684	
ट) अन्य	---	---	0	---	---	0	
कुल	8384565	10572986481	10581371046	6671266	6674747942	6681419208	

एस. डार
उपकुलसचिव (वित्त)
३२२११५

कापिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 15 क - कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ

	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	चालू वर्ष कुल	गत वर्ष कुल
पेंशन उपदान छुट्टी नगदीकरण कुल					
1.04.19 को प्रारंभिक शेष	19335915063	1371782081	1211502217	21919199361	19948328774
जोड़ें: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूंजीकृत मूल्य	6763889	4915391	575607	12254887	15636224
कुल (क)	19342678952	1376697472	1212077824	21931454248	19963964998
घटाएं: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	1993236403	168329203	75841485	2237407091	1380037492
31.03.20 को उपलब्ध शेष ग (क-ख)	17349442549	1208368269	1136236339	19694047157	18583927506
बीमांकन मूल्य निर्धारण के अनुसार 31.03.20 को अपेक्षित प्रावधान	23644829981	1448548177	1463038346	26556416504	21919199361
क. चालू वर्ष में प्रावधान किया जाए (ग-घ)	6295387432	240179908	326802007	6862369347	3335271855
ख. नई पेंशन योजना के लिए अंशदान	0	0	0	96841184	70690760
ग. सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा	0	0	0	0	0
ड. जमा लिंक्ड बीमा भुगतान	0	0	0	300000	557332
कुल (क+ख+ग+घ+ड.)	6295387432	240179908	326802007	6959510531	3406519947

नोट:

1. इस उप अनुसूची में कुल (क+ख+ग+घ+ड.) को अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ के अंतर्गत दिखाया जाएगा।
2. मद ख, ग, घ, एवं ड. को प्रोद्भव आधार पर दर्शाया जाएगा तथा बिलों को शामिल किया जाएगा लेकिन 31/3/20 को भुगतान हेतु बकाया दिखाया जाएगा।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
३२२११५

कपिल आर्य
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 - शैक्षणिक व्यय	धनराशि ₹ में					
	चालू वर्ष			गत वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क) प्रयोगशाला व्यय	1113046	13941741	15054787	3844130	17883545	21727675
ख) क्षेत्रकार्य/सम्मेलन में भागीदारी	0	0	0	471501	0	471501
ग) सेमीनारों/कार्यशालाओं में व्यय	3377706	2954306	6332012	5220817	4661335	9882152
घ) पुरस्कार तथा छात्रवृत्तियाँ	615790	75259371	75875161	775503	78787818	79563321
ङ) प्रतिष्ठा संस्थान के पंजीकरण शुल्क	---	---	0	---	0	0
च) विजिटिंग फैकल्टी के भुगतान	18518	---	18518	807516	0	807516
छ) परीक्षा	0	260798753	260798753	4525	427707947	427712472
ज) शुल्क की वापसी	---	2050478	2050478	---	3394239	3394239
झ) प्रवेश परीक्षा	---	66874041	66874041	---	17868042	17868042
ञ) छात्र कल्याण व्यय	---	---	0	---	---	0
ट) प्रवेश हेतु व्यय	---	---	0	---	---	0
ठ) दीक्षांत समारोह हेतु व्यय	---	---	0	---	---	0
ड) प्रकाशनों	0	304000	304000	46668	414966	461634
ढ) वृत्ति/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	---	197022	197022	---	229731	229731
ण) अंशदान व्यय	---	---	0	---	---	0
त) अन्य (विशेष ब्योरा दें)	---	---	0	---	---	0
कुल	5125060	422379712	427504772	11170660	550947623	562118283

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इरशाद

कपिल आर्जे
वित्त अधिकारी

कविता राजा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 17 - प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय			चालू वर्ष			धनराशि ₹ में
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	गत वर्ष कुल
अ. आधारिक संरचना						
क) बिजली एवं पावर	---	287293600	287293600	---	278513967	278513967
ख) जल प्रभार	---	5911971	5911971	---	39352754	39352754
ग) बीमा	---	---	0	---	---	0
घ) किराया, दरों तथा करों (संपत्ति कर सहित)	---	46989161	46989161	0	49119817	49119817
ब. संचार						
ड) डाक और टेलीफोन	41218	5381747	5422965	27	5563631	5563658
च) टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	---	---	0	---	---	0
छ) नेटवर्क संबंधी खर्च	0	38010229	38010229	29500	78108511	78138011
स. अन्य						
ज) मुद्रण तथा लेखन सामग्री (उपभोग)	306886	15852215	16159101	873651	41603929	42477580
झ) यात्रा और वाहन खर्च	79071	10079020	10158091	2163807	8298998	10462805
ञ) अतिथ्य	158004	---	158004	337381	---	337381
ट) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	---	---	0	---	---	0
ठ) विधिक एवं पेशेवर हेतु प्रभार	---	15379060	15379060	---	9104699	9104699
ड) विज्ञापन एवं प्रचार	---	30956	30956	---	127140	127140
ढ) पत्रिकाएं एवं जर्नल	0	50734963	50734963	57000	55657707	55714707
ण) पहरेदारों की सेवाएँ	---	130791128	130791128	---	89426950	89426950
त) गृह व्यवस्था के खर्च	---	93285126	93285126	---	107227171	107227171
थ) खेलकूद तथा स्पोर्ट्स	---	2223488	2223488	---	8225305	8225305
द) चिकित्सा खर्च	---	51648907	51648907	---	96926926	96926926
ध) अन्य/(विशेष व्योरा दें)	296809	28012050	28308859	1395440	36734434	38129874
कुल	881988	781623621	782505609	4856806	903991939	908848745

एम. डार
उपकुलसचिव (वित्त)
इ. 21/14

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 18 - परिवहन व्यय	धनराशि ₹ में					
	चालू वर्ष			गत वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. वाहन (संस्थान के स्वामित्व में)	---	---	0	---	---	0
क) परिचालन (रनिंग) व्यय	---	---	0	---	---	0
ख) मरम्मत और अनुरक्षण	---	---	0	---	---	0
ग) बीमा व्यय	---	---	0	---	---	0
2. भाड़े/पट्टे पर लिए गए वाहन	---	---	0	---	---	0
क) भाड़ा/पट्टा हेतु व्यय	---	---	0	---	---	0
3. वाहन (टैक्सी) हेतु व्यय	0	---	0	10080	0	10080
कुल	0	0	0	10080	0	10080

प.म. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
२२२११५

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 19 – मरम्मत और अनुरक्षण	चालू वर्ष			गत वर्ष			धनराशि ₹ में
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	
क) भवन	---	156203504	156203504	---	166799115	166799115	
ख) फर्नीचर एवं फिक्सचर	7670	4122414	4130084	0	8836462	8836462	
ग) संयंत्र और मशीनरी	---	11734864	11734864	0	1072562	1072562	
घ) कार्यालय उपकरण	87920	1854362	1942282	2016712	4586700	6603412	
ङ) कंप्यूटर्स	192940	2578509	2771449	330288	5239421	5569709	
च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण	---	326698	326698	---	1206911	1206911	
छ) दृश्य श्रव्य उपकरण	---	---	0	---	---	0	
ज) सफाई सामग्री एवं सेवाएं	---	---	0	---	---	0	
झ) जिल्दसाजी हेतु खर्च	---	---	0	---	---	0	
ञ) बागवानी	---	1548861	1548861	0	8794016	8794016	
ट) संपदा रखरखाव	---	---	0	---	---	0	
ठ) वाहन	---	1244976	1244976	---	864025	864025	
ड) अन्य (विशेष ब्योरा दें)	---	---	0	0	---	0	
कुल	288530	179614188	179902718	2347000	197399212	199746212	

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इरमाद

कापिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 20 – वित्त लागत	धनराशि ₹ में					
	चालू वर्ष			गत वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क) बैंक प्रभार	29501	177919	207420	54299	101790	156089
ख) अन्य (विशेष ब्योरा दें)	---	---	0	---	---	0
कुल	29501	177919	207420	54299	101790	156089

नोट : यदि धनराशि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक नहीं है तो मुख्य बैंक प्रभार को विलोपित किया जा सकता है, और इन्हें अनुसूची 17 में प्रशासनिक व्यय के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

एस. डार
उपकुलसचिव (वित्त)
इरवादा

कपिल अग्र०
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 21 – अनुदानों, आर्थिक सहायताओं इत्यादि पर खर्च	चालू वर्ष			गत वर्ष			धनराशि ₹ में
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	
	क) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	---	---	0	---	---	0
ख) लावसूल शेष को बट्टे खाते में डालें	---	---	0	---	---	0	
ग) अन्य संस्थानों/संगठनों से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	1860125	141024915	142885040	2397793	143583013	145980806	
घ) अन्य (विशेष ब्योरा दें)	---	---	0	---	---	0	
कुल	1860125	141024915	142885040	2397793	143583013	145980806	

नोट: अन्य व्यय बट्टे खाते, विविध व्यय, निवेश की बिक्री पर हानि, अचल परिसंपत्तियों की हानि तथा अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तदुसार दर्शाया जाएगा।

प्र. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इ. २५/५

कापिल अग्रो
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 : पूर्व अवधि के खर्च	धनराशि ₹ में					
	चालू वर्ष			गत वर्ष		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1. स्थापना व्यय	----	0	0	----	----	0
2. शैक्षणिक व्यय	----	----	0	----	----	0
3. प्रशासनिक व्यय	123832	559398	683230	----	----	0
4. परिवहन व्यय	----	----	0	----	----	0
5. मरम्मत एवं रखरखाव	----	----	0	----	----	0
6. अन्य व्यय	----	----	0	----	----	0
7. पूर्व अवधि से संबन्धित ह्रास मूल्य	----	0	0	----	1298098067	1298098067
कुल	123832	559398	683230	0	1298098067	1298098067

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
२०२१/२२

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कृतिष्ठा शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31.3.2020 तक के आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

स्टॉक में वृद्धि/कमी	चालू वर्ष	धनराशि ₹ में गत वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
मुद्रण तथा लेखन सामग्री (उपभोग)	5957925	7236511
चिकित्सा खर्च	8657151	10235191
वर्दी	-----	-----
उत्तर पुस्तिका	1354312	5127131
कुल (क)	15969388	22598833
ख) घटाये: आरंभिक स्टॉक	22598833	25893998
कुल (ख)	22598833	25893998
अधिशेष/(कमी) (क-ख)	(6629445)	(3295165)

प.श. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
इ-शाखा

कापिल अग्र
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखा का हिस्सा बनी अनुसूचियां

अनुसूची 23 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने हेतु आधार

क) परिपाटी के आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और आमतौर पर जब तक अन्यथा न कहा जाए प्रोद्घवन पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व मान्यता

क) विद्यार्थियों से फीस, प्रवेश फॉर्मों की बिक्री स्वामित्व (रॉयल्टी), प्रत्येक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस तथा बचत बैंक खातों पर ब्याज का नकदी आधार पर लेखा-जोखा किया जाता है।

ख) भूमि, भवन, अन्य संपत्ति और निवेश से आय प्रोद्घवन आधार पर लेखा-जोखा किया जाता है।

ग) गृह-निर्माण, वाहनों और कम्प्यूटरों की खरीदी के लिए कर्मचारियों हेतु सब्याज अग्रिमों का प्रत्येक वर्ष प्रोद्घवन आधार पर लेखा-जोखा किया जाता है यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन की पूरी चुकौती के बाद शुरू होगी।

3. अचल संपत्ति एवं मूल्यहास

क) आवक भाड़ा, शुल्क तथा कर और अधिग्रहण, संस्थापना तथा निम्न मूल्यहास कमीशनिंग के संबंध में प्रासंगिक और प्रत्यक्ष व्यय सहित अधिग्रहण की लागत अचल संपत्ति कही जाती है। किसी भी विचार के बिना विश्वविद्यालय से प्राप्त अचल परिसंपत्तियां अंकित मूल्य अर्थात् ₹एक प्रति परिसंपत्ति पर वित्तीय विवरण में पूंजीकृत की गईं।

3.1 उपहार / दान स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य पर अर्थात् ₹1(एक) प्रति परिसंपत्ति मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

3.2 उपहार के रूप में प्रपट पुस्तकों का अंकित मूल्य अर्थात् ₹1/-(एक) प्रति परिसंपत्ति पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

3.3 निम्न संचित मूल्यहास लागत पर अचल संपत्ति का मूल्य निर्धारित किया जाता है, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित दरों पर जारी किए गए मार्गदर्शक नोट में यथा विनिर्दिष्ट अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास अवलेखित मूल्य पद्धति में उपलब्ध कराया जाता है।

मूर्त परिसंपत्तियां

क्रमांक	परिसंपत्तियों के प्रकार	दर
1	भूमि	0%
2	भवन	5%
3	फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
4	वैज्ञानिक उपकरण	40%
5	प्रिंटर, यू.पी.एस., इत्यादि सहित कम्प्यूटर	40%
6	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	50%
7	बसों, वैंस इत्यादि	30%
8	कारों, स्फ़्टर्स	25%
9	संयंत्र एवं मशीनरी जिसमें वातानुकूलक (एयर कंडीशनर्स), जनरेटर्स, अग्नि-शामक, दूरभाष, टेलीविजन सेट्स, फोटो कोपियर्स, फ़ैक्स मशीनों, वाटर कूलर्स, प्रोजेक्टर्स इत्यादि शामिल हैं	20%
10	संगीत वाद्ययंत्र	50%
11	खेलकूद उपकरण	50%

अमूर्त परिसंपत्तियां

1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
2	एकस्व(पेटेंट)	25%

3.4 वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के लिए परिवर्धन के संबंध में पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास प्रदान की गई है। अचल संपत्तियों से बिक्री/कटौतियों के संबंध में कोई मूल्यहास शुल्क नहीं लगाया गया है।

3.5. उद्दिष्ट निधि के निधियों से सृजित परसंपत्तियाँ, जहाँ विश्वविद्यालय में निहित ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व पूंजीनिधि में जमा द्वारा स्थापित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय की अचल परिसंपत्ति में विलय कर दिया गया है। संबंधित परिसंपत्तियों के लिए लागू दरों पर मूल्यहास शुल्क लगाया गया है। बाहरी एजेंसियों द्वारा परियोजना निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियाँ उसी निधित एजेंसी से संबन्धित रहती है जब तक परियोजना खत्म नहीं हो जाती। परियोजना के खत्म होने पर परियोजना की परिसंपत्तियों की ह्रासित मूल्य विधि पर क्रमिक स्थायी परिसंपत्तियों में से निकाल कर विश्वविद्यालय की स्थायी परिसंपत्तियों में मिला दिया गया है और पूंजीगत निधि लेखे में शामिल कर लिया गया है।

3.6 परसंपत्तियाँ, जिनमें से प्रत्येक की मूल्य रु.5000/- अथवा उससे कम (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) राजस्व व्यय के रूप में व्यवहारित होंगे। हालांकि भौतिक लेखांकन और नियंत्रण जैसी परिसंपत्तियाँ धारकों द्वारा जारी रखी जायेगी।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पेटेंट, कॉपीराइट्स तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।

4.1 पेटेंट : पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर वहन किये गए व्यय (आवेदन शुल्क, कानूनी खर्च इत्यादि) पूंजीकृत तथा तुलन-पत्र में अमूर्त परिसंपत्ति के हिस्से के रूप में दर्शाए जाते हैं। यदि पेटेंट हेतु आवेदन पत्र खारिज हो जाता है तो विशेष पेटेंट पर वहन किए गए संचयी व्यय को आवेदन के अस्वीकृत होने वाले वर्ष में ही आय और व्यय के बट्टे खाते में लिखा जाता है। मूल्यहास की दर मूल्य पद्धति के 25% की दर से निर्धारित की जायेगी।

4.2 इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएँ : ई-जरनल्स/पेरोडिकल पर खर्च की गई धनराशि को चालू वर्ष में उपयोग किए गए सीमा तक राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है, और बाकी राशि को प्रीपैड व्यय के रूप में पुस्तकों में दर्शाया गया है।

4.3 सॉफ्टवेयर के अर्जन पर व्यय को कम्प्यूटर तथा वाह्य उपकरणों से अलग किया गया और 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी मूल्यहास की दर मूल्य पद्धति के 40% की दर से निर्धारित की जायेगी।

5. भंडार(स्टॉक्स)

वर्ष के अंत में स्टॉक मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है।

6. सेवा- निवृत्ति लाभ

सेवा-निवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रैचुइटी और छुट्टी-भुगतान को बीमांकिक मूल्यन लेखा मानक-15 के आधार पर हिसाब में लिया गया है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों जिन्हें विश्वविद्यालय में अवशोषित किया गया है के पिछले नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन, उपदान और अर्जित-छुट्टी का पूंजीकृत मूल्य उनके संबंधित प्रावधान खातों में जोड़ा गया है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त पेंशन और छुट्टी वेतन को भी संबंधित प्रावधान खातों में जोड़ा गया है।

7. निवेश

सभी निवेश लागत मूल्य के आधार पर निश्चित किए जाते हैं।

8. उद्दिष्ट/अक्षय निधि

समग्र निधि, आवास गृह-निर्माण निधियाँ, वाहन निधि(कम्प्यूटर अग्रिम सहित) के लिए बनी निर्धारित उद्दिष्ट निधि दीर्घावधि निधियाँ होती हैं और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक निधियों का एक अलग बैंक खाता है। जिनमें अधिक शेष राशि वाले खातों में सें राशि को सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर, तथा बॉन्ड और बैंकों में सावधि जमा में भी निवेश किया जाता है। निवेश प्रोद्दत आधार पर अग्रिम (गृह-निर्माण, वाहन तथा कम्प्यूटर) से प्राप्त आय तथा बचत बैंक खातों पर व्याज को नकदी आधार पर संबंधित निधि में जमा किया जाता है। व्यय तथा अग्रिम (गृह-निर्माण, वाहन तथा कम्प्यूटर के मामले में) संबंधित निधियों में डेबिट किए जाते हैं। जहाँ संस्थानों में निहित स्वामित्व होता है वहाँ अक्षय निधि में से बनाई गई परिसंपत्तियाँ पूंजी निधि के लिए जमा की गई एक समान राशि द्वारा संस्थानों की परिसंपत्तियों में मिलाया जाता है।

8.1 संबंधित निधियों की शेष राशि, तुलन-पत्र की देनदारी की तरफ में अग्रणीत किया जाता है तथा जिसे तुलन-पत्र की तरफ बैंक बैलेन्स, अग्रिमों, सावधि जमा तथा निवेश द्वारा दर्शाया जाता है।

8.2 जहाँ विश्वविद्यालय में निहित स्वामित्व होता है वहाँ उद्दिष्ट निधियों में से क्रय की गई/बनाई गई परिसंपत्तियाँ संबंधित परिसंपत्ति खाते से डेबिट तथा पूंजीगत निधि खाते से क्रेडिट द्वारा विश्वविद्यालय की अचल परिसंपत्ति में मिलाया जाता है। मूल्यहास संबंधित परिसंपत्तियों के लिए लागू दरों पर प्रभारित किया जाता है।

8.3 अक्षय निधियाँ

दाताओं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट चेयर्स तथा पदकों एवं पुरस्कारों/छात्रवृत्ति की स्थापना हेतु अक्षय निधि, विभिन्न प्रत्येक दाताओं, न्यास तथा अन्य संगठन से प्राप्त होती है।

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से होने वाली आय को निधि में जोड़ा जाता है। पदकों और पुरस्कारों पर होने वाले व्यय को संबंधित अक्षय निधि के निवेश से अर्जित ब्याज से वहन किया जाता है, तथा शेष राशि अगले वर्ष अग्रेनीत की जाती है। हालांकि अक्षय संग्रह चेयर्स के संबंध में भी उपयोग किया जाता है। शेष राशि भारतीय रिजर्व बैंक के बॉन्ड्स तथा मियादी जमा में निवेश तथा कॉमन बचत बैंक खाता में शेष राशि तथा निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज द्वारा दर्शाए जाते हैं।

8.4 निदेशक अग्रिम आर.पी.ए. छात्रवृत्ति खाता (दक्षिणी दिल्ली कैंपस) को पहली बार विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों में शामिल किया गया है और अनुसूची-2 नामोद्दिष्ट/उद्दिष्ट/अक्षय निधियां में शामिल है। कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव संख्या-179 (9) दिनांक 25.03.1989 की अनुवर्ती करके भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक बार के किराए के भुगतान के रूप में 10,80,000/- सावधि जमा पर अर्जित व्याज के लिए खुलाया गया था। खाते का उपयोग फेलोशिप देने के लिए किया जा रहा है।

9. सरकारी एवं यू.जी.सी. अनुदान

9.1 सरकारी अनुदान तथा यू.जी.सी. अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, हालांकि जहाँ वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त की जाती है, तथा अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है। अनुदान को प्रोद्भव आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा अनुदाता से वसूली-योग्य धनराशि के समतुल्य धनराशि को दर्शाया गया है।

9.2 पूंजीगत व्यय (प्रोद्भव आधार पर) यू.जी.सी. से प्राप्त अनुदान प्रयुक्त सीमा की ओर पूंजीगत निधि में अंतरित किए जाते हैं।

9.3 राजस्व व्यय पूरा करने हेतु (प्रोद्भव आधार पर) यू.जी.सी. अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में प्रयुक्त सीमा के लिए समझे जाते हैं।

9.4 अप्रयुक्त अनुदान (ऐसे अनुदान के अलावा भुगतान सहित अग्रिम) को अग्रेनीत किया जाता है, तथा तुलन-पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

10. उद्दिष्ट निधि निवेश और ऐसे निवेशों पर उपार्जित ब्याज:

ऐसी निधियों के प्रति उपलब्ध धनराशि एक सीमा तक किंतु तत्काल खर्च करना अपेक्षित नहीं है उसे अनुमोदित प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स अथवा बैंकों में निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है शेष राशि बचत बैंक खाता में रहेगी। इस तरह के निवेश पर अर्जित ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज और देय तथा प्रोद्भूत ब्याज किंतु बिना देय संबंधित निधियों में जोड़ दी जाती है तथा जो संस्था की आय के रूप में नहीं समझी जाती हैं।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

11.1 चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त धनराशि चालू देयताओं शीर्ष में क्रेडिट की जाती है तथा चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति प्रावधान अन्य चालू देयताएँ-अन्य देयताओं की प्रति होती है। “जब कभी ऐसी परियोजना के बदले व्यय/अग्रिम लागत भुगतान किये जायेंगे अथवा संबंधित परियोजना खाते हेतु आवंटित ऊपरी शुल्क को जमा किया जायेगा, देयता खाते जमा होंगे।

11.2 इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. फेलोशिप तथा छात्रवृत्ति द्वारा वित्तपोषित जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए निर्धारित धनराशि भी विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित होती है। इन्हें प्रायोजित परियोजना की तरह लेखाबद्ध किया जाता है सिवाय इसके कि व्यय आमतौर पर केवल अध्येतावृत्ति(फेलोशिप) और छात्रवृत्ति के वितरण पर हो, जिसमें फेलो तथा विद्वानों के आकस्मिक व्यय हेतु भत्ते शामिल होते हैं।

11.3 संस्थान स्वयं भी अध्येतावृत्ति(फेलोशिप) तथा छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जोकि शैक्षणिक खर्च में ही लेखाबद्ध किए जाते हैं।

11.4 बाहरी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजना से खरीदी गई परिसंपत्तियाँ परियोजना के बंद होने तक संबंधित वित्तपोषित एजेंसी की संपत्ति होती हैं। परियोजना बंद होने के बाद, परियोजना परिसंपत्तियाँ संबंधित अचल परिसंपत्तियों के खाते से डेबिट और पूंजीगत निधि खाते में क्रेडिट द्वारा लिखित मूल्य पर विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति के साथ विलय कर दिया जाता है।

12. आयकर

संस्था की आय आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(23)(c) के तहत आयकर मुक्त होती है। इसलिए खातों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है।

एस. डी. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
इ.र.शा.प.

कापिल आर.
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखा का हिस्सा बनी अनुसूचियां

अनुसूची 24 : आकस्मिक देताएं और नोट्स ऑन अकाउंट

1. आकस्मिक देताएं

(क) विश्वविद्यालय के वर्तमान / भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा फ़ाइल किए गए विभिन्न दावे औद्योगिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। दावों की मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल-2010 (₹. 28.23 करोड़ की बिल धनराशि के प्रति) के दौरान डीयू क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों से संबंधित सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए भुगतान शेष के रूप में ₹. 14.25 करोड़ की धनराशि ईसीआईएल को देय है। शेष भुगतान गृह मंत्रालय द्वारा रोक दी गई थी क मामला माननीय न्यायालय में न्यायाधीन है।

2. पूंजीगत वचनबद्धता (कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस) कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस में विश्वविद्यालय द्वारा 31 मार्च, 2019 तक निम्नलिखित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु किया गया भुगतान शामिल हैं।

1. उद्दिष्ट / बंदोबस्ती निधियों से अन्य परियोजनाएं ₹ 12,28,72,429/-

वर्ष के दौरान, कोई पूंजीगत वचनबद्धता (कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस) भवन में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 अनुसूची-4 में स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष के दौरान परिवर्धन में योजनागत निधि ₹ 1962696/-, गैर-योजनागत निधि (आवर्ती) ₹ 72895450/-, (पूंजीगत संपत्ति) ₹ 83892717/- और उद्दिष्ट/अक्षय निधि ₹ 66968796/- में से खरीदी गई परिसंपत्तियां तथा बंद हो चुकी प्रायोजित योजनाएँ ₹ 8529436/- और संस्थान को उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय हेतु पुस्तकें ₹ 60/- (प्रति परिसंपत्ति ₹. 1(एक) के नाममात्र / अंकित मूल्य पर) के मूल्य की अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं। परिसंपत्तियां कैपिटल फंड में क्रेडिट द्वारा स्थापित की गई हैं।

3.2 31 मार्च, 2014 को तुलन-पत्र में और गत वर्षों के तुलन-पत्रों में योजनागत निधि से बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियों और गैर-योजनागत निधि में से बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियों को सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। 31 मार्च, 2017 तक वर्ष के दौरान योजनागत, गैर-योजनागत निधि और अन्य निधियों में से किए गए इन परिवर्धन करें क्रमशः उन परिवर्धनों पर मूल्यहास को स्थायी परिसंपत्ति (अनुसूची-4) की मुख्य अनुसूची की उप-अनुसूची 'क' 'ख' और 'घ' में सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है।

3.3 अनुसूची-4 में दर्शाई गई परिसंपत्तियों में प्रायोजित परियोजना निधि में से खरीदी गई परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जो संस्थान द्वारा संघटित और उपयोग की गई है, क्योंकि परियोजना करार में शर्तें शामिल हैं कि परियोजना निधि में से खरीदी गई ऐसी परिसंपत्तियां प्रायोजकों की परिसंपत्तियां रहेंगी।

4. जमा देयताएँ

इसमें बयाना और प्रतिभूति जमा की कोई धनराशि नहीं है जो राजस्व खाते में अंतरित की गई हो।

5. विदेशी मुद्रा में व्यय

भुगतान/प्राप्ति की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में लेन-देन का अभिधान किया गया है।

6. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम और जमाएँ

6.1. प्रबंधन के मत में, चालू परिसंपत्तियां, ऋणों और अग्रिमों के मूल्य को सामान्यतः उनकी वसूली पर आँका जाता है। जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई औसतन धनराशि के समतुल्य होता है।

6.2. तुलन-पत्र की परिसंपत्ति की ओर दर्शाए गए ऋणों और अग्रिमों में 31 मार्च, 2006 तक की अवधि से संबन्धित अग्रिम शामिल नहीं किए गए हैं, जो फ़ाइनेल स्टेटमेंट में अभी तक बकाया हैं, इन अग्रिमों को अग्रिम जारी करते समय लेखे के संबंधित शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

7. बैंक शेष

बैंक में बचत खाते, चालू खाते और मियादी जमा खाते में शेष का विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची के संलग्नक 'क' में संलग्न हैं।

सभी बचत बैंक खाते ऑटो स्वीप(फ्लेक्सी जमा) सुविधा वाले हैं तथा इनसे उत्पन्न ब्याज उस अवधि के लिए फ़िक्स्ड डिपॉजिट पर लागू दर (यदि फ़िक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाते) से प्राप्त होता है। इन सभी बचत खातों से प्राप्त ब्याज की आय प्रोद्घवन आधार पर लिया गया है।

8. जहां आवश्यक था, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनःगठित किया गया है।

9. अंतिम लेखों के आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।

10. अनुसूची 1 से 24 अंत में संलग्न हैं तथा 31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का महत्वपूर्ण भाग और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय खाता का निर्माण करता है।

11. भविष्य निधि खाता/लेखा

नई पेंशन योजना सहित भविष्य निधि लेखों के स्वामी इन निधियों के सदस्य होते हैं न कि विश्वविद्यालय, इन खातों को विश्वविद्यालय खातों से अलग बनाया जाता है।

हालांकि, भविष्य निधि का प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय खाता (प्रोद्घवन आधार पर) और तुलन-पत्र के साथ-साथ वर्ष 2019-20 के लिए नई पेंशन योजना को विश्वविद्यालय लेखों के साथ संलग्न किया गया है।

12. वेतन

वेतन पर किए गए व्यय, मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक की अवधि हेतु हैं। मार्च 2020 माह के वेतन के प्रति कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

13. हॉल्स और छात्रावास

हॉल और छात्रावासों चूंकि अलग रिपोर्टिंग संस्थाएं हैं उनके खाते, विश्वविद्यालय लेखों से अलग तैयार किए जाते हैं। हालांकि, सभी हॉल और छात्रावासों तथा अतिथि-गृहों के समेकित प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय लेखा और समेकित तुलन-पत्र विश्वविद्यालय के खातों के साथ संलग्न हैं।

14. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस चूंकि अलग रिपोर्टिंग संस्था हैं। उसके खाते से अलग तैयार किए जाते हैं तथा विश्वविद्यालय के खातों के साथ संलग्न किए जाते हैं।

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
22/2/19

कपिल अश्रु
वित्त अधिकारी

कविता रानी
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्तियाँ तथा अदायगियाँ

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	धनराशि ₹ में	
				चालू वर्ष	गत वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क. नकद शेष	----	----	क. संस्थापन व्यय	5938531520	4710548621
ख. बैंक शेष			ख. शैक्षणिक व्यय	427504772	561954538
i. चालू खाते में	102222076	66031191	ग. प्रशासनिक व्यय	698780995	894045727
ii. बचत खाते में	1221087686	891760948	घ. परिवहन व्यय	0	10080
iii. जमा खाते में	12388074281	11082529870	ड. मरम्मत और अनुरक्षण	179902718	180040236
iv. स्थायी पेशगी	937600	922600	च. वित्तीय प्रभार	207420	156089
II. प्राप्त अनुदान			छ. अनुदान से व्यय	142885040	145980806
क. भारत सरकार से			ज. पूर्व आवधिक व्यय	683230	----
ख. राज्य सरकार से	----	----	II. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के प्रति भुगतान	297752224	388749530
ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से	----	----	III. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के प्रति भुगतान	602321702	630046448
i) पूँजीगत व्यय के लिए गैर योजना अनुदान	110000000		IV. प्रायोजित अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति के प्रति भुगतान	43711631	95398221
ii) राजस्व व्यय के लिए गैर योजना अनुदान	5738824000	5848824000	V. योजना अनुदान के प्रति भुगतान	----	----
घ. अन्य स्रोतों से (विवरण दें)			VI. किए गए निवेश और जमा		
(पूँजी और राजस्व व्यय हेतु अनुदान अलग से दर्शाए जाए,			क. उद्दिष्ट और अक्षय निधि में से	----	----
यदि उपलब्ध हो तो)			ख. स्व निवेश में से	----	----
III. शैक्षणिक प्राप्तियाँ			VII. अनुसूची बैंकों में सावधि जमा	----	----
क) शुल्क एवं अभिदान	1042233559	920684892	VIII. स्थायी परिसंपत्तियाँ और पूँजीगत वर्क-इन-प्रोग्रेस पर व्यय		
ख) प्रकाशनों की बिक्री	107760	33690	क. स्थायी परिसंपत्तियाँ	225719659	176812980
IV. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के प्रति प्राप्तियाँ	1065630662	832598434	ख. केपिटल वर्क इन प्रोग्रेस	----	----
V. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के प्रति प्राप्तियाँ	559243795	687285490	IX. सांविधिक भुगतान सहित अन्य भुगतान	34489554	121871867
VI. योजना के प्रति प्राप्तियाँ	262936632	35944405			
VII. प्रयोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के प्रति प्राप्तियाँ	58387487	80304722			

एम. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
२०२०

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी
(48)

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

VIII. निम्न के निवेश पर आय			X. अनुदानों का प्रतिदाय	---	---
क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि	267346159	431669302			
ख. योजना खाता	250812594	203020846	XI. जमा और अग्रिम		
ग. प्रायोजित परियोजनाओं	78058027	90951125	क) त्योहार पेशगी	0	70762
घ. अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	6392606	5691539	ख) अग्रिम	---	---
			ग. स्थायी पेशगी	---	---
IX. निम्न पर प्राप्त ब्याज			घ. चिकित्सा पेशगी	---	---
क. बैंक जमा	28067078	51143555	ङ) एल. टी. सी. पेशगी	8476132	7974556
ख. ऋण और अग्रिम	---	---	च) धन प्रेषण	0	1961357
ग. बचत बैंक खाता	15030915	57188754	छ) प्रायोजित परियोजनाओं से पेशगी	47805560	---
			XII. अन्य भुगतान	1976473267	2088801180
X. निवेश भुनाना	---	---			
XI. अनुसूची बैंकों में सावधि जमा	---	---	XIII. अंतिम शेष		
			क. हाथ रोकड़	---	---
XII. अन्य आय (पूर्व आवधिक आय सहित)	103809933	76037082	ख. बैंक शेष		
			चाहू खाते में	131513570	102222076
XIII. जमा और अग्रिम			बचत खाते में	3126403359	1221087686
क) त्योहार पेशगी	0	736612	जमा खाते में	11698773012	12388074281
ख) एल. टी. सी. पेशगी	7974556	13308426	स्थायी पेशगी	927600	937600
ग) चिकित्सा पेशगी	---	---			
घ) स्थायी पेशगी	---	---			
ङ) अग्रिम	16944774	95453566			
च) धन प्रेषण	449219	---			
छ) प्रायोजित परियोजनाओं से पेशगी	0	290782766			
XIV. सांविधिक भुगतानों सहित विविध प्राप्ति	59934047	120094100			
XV. कोई अन्य प्राप्ति	2198357518	2048670726			
कुल	25582862965	23716744641	कुल	25582862965	23716744641

एस. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
२२/१५

कपिल अग्र
वित्त अधिकारी

कमला शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

धनराशि 31.03.19	देयताएं		धनराशि 31.03.20	धनराशि 31.03.19	परिसंपत्तियां		धनराशि 31.03.20
3718050214	सामान्य भविष्य निधि आरंभिक शेष	3991034326		2626990000	निवेश (बंधपत्रों) जीपीएफ सीपीएफ	1343000000 1283990000	2626990000
555083796	जोड़ें: वर्ष में अभिदान	606268822		2161994717	जमा खाता (एफडी) जीपीएफ सीपीएफ	1462200000 852900000	2315100000
287912546 (570011685) (545)	जोड़ें: ब्याज जमा किया गया घटाएं: अग्रिम/ निकासी घटाएं: गत वर्ष से संबंधित समायोजन	310446144 (658625859) (55774)		139183795	31.03.2020 को प्रोद्भूत ब्याज		138018061
3991034326	अंत शेष		4249067659		कर पर स्रोत कटौती : ---- सीपीएफ खाता ---- जीपीएफ खाता	2131613 83363	2214976
614883516	अंशदायी भविष्य निधि आरंभिक शेष	616249658					
58210366 40615088 (96122478) (1336834)	जोड़ें: वर्ष में अभिदान और अंशदान के अग्रिम का भुगतान जोड़ें: ब्याज जमा किया गया घटाएं: अग्रिम/ निकासी/अंतिम निपटान घटाएं: गत वर्ष से संबंधित समायोजन	69794420 41185113 (99305406) (462)		88359659 21603430	जीपीएफ खाता सं. 10851298435 सीपीएफ खाता सं. 10851298457	115492712 136713717	252206429
616249658	अंत शेष		627923323				
368319050 62528567	ब्याज रिजर्व आरंभिक शेष	430847617 26690867					
430847617	जोड़ें: व्यय पर आय का आधिक्य अंत शेष		457538484				
5038131601	कुल		5334529466	5038131601			5334529466

टी. वेंगाट्यान
संयुक्त-कुलसचिव (वित्त)

कमल उमर
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय खाता

31/03/19 को धनराशि	व्यय	31/03/2020 को धनराशि	31/03/2019 को धनराशि	आय	(धनराशि/रूपए) 31/03/2020 को धनराशि
287912546	क्रेडिट ब्याज:		408178329	निवेश पर अर्जित ब्याज	379209251
40615088	जीपीएफ खाता	310446144	106280869	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज	105115135
	सीपीएफ खाता	41185113	1337379	जोड़ें: गत वर्ष से संबंधित समायोजन	56236
4035	बैंक प्रभार	2079	(122884777)	घटाएं: गत वर्ष हेतु प्रोद्भूत ब्याज परंतु चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ।	(106280869)
426958	कर पर स्रोत कटौती :			अन्य आय	224450
1424606	---- सीपीएफ खाता	----			
62528567	---- जीपीएफ खाता	----			
	व्यय पर आय का आधिक्य	26690867			
392911800	कुल	378324203	392911800	कुल	378324203

टी. जे. गारेयन
संयुक्त-कुलसचिव (वित्त)

कमिला अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय

भविष्य निधि खाता

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां	धनराशि	भुगतान	(धनराशि/रुपए.) धनराशि
01/04/19 को आरंभिक शेष			
जीपीएफ खाता सं. 10851298435	88359659	जीपीएफ अग्रिम/निकासी/अंतिम निपटान	658625859
सीपीएफ खाता सं. 10851298457	21603430	सीपीएफ अग्रिम/निकासी/अंतिम निपटान	99305406
जीपीएफ अभिदान	606268822	वर्ष के दौरान निवेश	2393000000
सीपीएफ अभिदान और विश्वविद्यालय अंशदान	69794420	बैंक प्रभार	2079
भुनाया गया निवेश	2240119167	अंत शेष	
प्राप्त ब्याज	376994275	जीपीएफ खाता सं. 10851298435	115492712
		सीपीएफ खाता सं. 10851298457	136713717
कुल	3403139773	कुल	3403139773

टी. वेण्कटरमन
संयुक्त-कुलसचिव (वित्त)

कापिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
एनपीएस टीयर-1 खाता
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(धनराशि/रूपए)

धनराशि 31.03.19	देयताएं	धनराशि 31.03.20	धनराशि 31.03.19	परिसंपत्तियां	धनराशि 31.03.20
	एनपीएस टीयर-1 खाता				
4455629	अभिदान और विश्वविद्यालय अंशदान	14230965	3115000	निवेश	2606000
			77867	प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं फ्लेक्सी सावधि जमा और	71338
3091945	आरक्षित व्यय	3748552		सावधि जमा पर काटा गया टीडीएस	2045
			4354707	बचत बैंक खाते में शेष	15300134
7547574	कुल	17979517	7547574	कुल	17979517

टी. वे. वा. देव्यन
संयुक्त-कुलसचिव (वित्त)

कापिल अग्र.
वित्त अधिकारी

कविल कर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
एनपीएस टीयर-1 खाता
वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आय और व्यय खाता

(धनराशि/रुपए)

धनराशि 31.03.19	व्यय	धनराशि 31.03.20	धनराशि 31.03.19	आय	धनराशि 31.03.20
856	बैंक प्रभार	3676	394772	निवेश पर प्राप्त ब्याज (एफ.डी. और फ्लेक्स खात	666812
8270	निवेश पर कर के स्रोत कटौती (फ्लेक्सी सावधि जमा ब्याज)	0			
406105	व्यय पर आय का आधिक्य	656607	(57408) 77867	वर्ष 2018-19 हेतु प्रोद्भूत ब्याज परंतु वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त हुआ। जोड़ें: प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	(77867) 71338
415231	कुल	660283	415231	कुल	660283

टी. वेंगाटेयन
संयुक्त-कुलसचिव (वित्त)

कापिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
एनपीएस टीयर-1 खाता
वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(धनराशि/रुपए)

धनराशि 31.03.19	प्राप्तियां	धनराशि 31.03.20	धनराशि 31.03.19	भुगतान	धनराशि 31.03.20
421217	01/04/19 को आरंभिक शेष एनपीएस टीयर-1 खाता	4354707			
137375588	स्व: अभिदान और विश्वविद्यालय अंशदान	180686486	3115000	निवेश	2606000
67996	अधिक्य प्राप्ति (प्रेषण)	0	133514128	एनएसडीएल को लौटाई गई/निकासी की गई धनराशि	168277292
281526	निवेश से प्राप्त ब्याज (एनपीएस)	262287	856	बैंक प्रभार	3676
113246	बचत बैंक खाता पर ब्याज	402480	8270	निवेश पर कर के स्रोत कटौती	0
2807000	निवेश भुनाया गया (एफ.डी.)	3115000	73612	पिछले वर्षों के अतिरिक्त प्रेषण का किया गया भुगतान	67996
			4354707	पिछले वर्ष प्राप्ति (प्रेषित धन)	2565862
				31.03.2020 को अंत शेष	15300134
141066573	कुल	188820960	141066573	कुल	188820960

टी. वेङ्गादेयन
संयुक्त-कुलसचिव (वित्त)

अपिल अग्र
वित्त अधिकारी

कनिता शर्मा
कोषाध्यक्ष

विश्वविद्यालय प्रेस
31 मार्च 2020 तक का तुलन-पत्र

धनराशि ₹ में

निधियाँ तथा देयताएँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 पूंजी निधि	341547	3381931
2 चालू देयताएँ		
(क) वेतन बिलों से कटौती	1243219	1241869
(ख) देय बिल	0
3 ऋण पेशगिया		
(क) किए जाने वाले काम के लिए पेशगी		130000
(ख) अंतर-बैंक अंतरण	17395492	17395492
(ग) अन्य देयताएं	10162	10162
(घ) मूल्य	53500	53500
जाड़	19043920	22212954

परिसंपत्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 मशीनरी, फर्नीचर तथा उपस्कर	5148	161588
2 प्राप्य धनराशि	15490171	20528126
3 वर्तमान स्टॉक		
क) कच्चा माल	562870	1289027
ख) तैयार माल
4 कार्य प्रगति पर
5 बैंक में रोकड़	2969731	218213
6 स्थायी परिसंपत्तियां	1000	1000
7 पेशगियाँ	15000	15000
जाड़	19043920	22212954

अभिदा

संबंधित सहायक

विश्वविद्यालय प्रेस

विशेष कार्याधिकारी

विश्वविद्यालय प्रेस

विश्वविद्यालय प्रेस
वर्ष 2019.20 के लिए लाभ एवं हानि लेखा

				धनराशि ₹ में	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 आरंभिक स्टॉक			1 प्राप्ति		
(क) कच्चा माल	1289027	1383462	(क) छपाई तथा जिल्दबंदी से आय	0	9896508
(ख) तैयार माल	0	45978			
2 कार्य प्रगति पर	0	4817430	2 अंतिम स्टॉक		
3 वेतन तथा भत्ते	958138	3189321	(क) कच्चा माल	562870	1289027
(क) एल.टी.सी.	0	51872	(ख) तैयार माल
(ख) अनुशिक्षण शुल्क	0	13500			
(ग) लाभान्श			
(घ) चिकित्सा-प्रतिपूर्ति	0	315358	3 कार्य प्रगति पर
4 कच्चे माल की खरीद	0	642746	4 हानि	1686676	5324229
5 विविध आकस्मिक व्यय	0	4836			
6 दर, किराया और कर	649	1369			
7 बाहरी माध्यम द्वारा किया गया काम	0	6001503	6		
8 मूल्यह्रास					
(क) मशीनरी, फर्नीचर और उपकरण	1732	42389			
9 लाभ			
जाड़	2249546	16509764	जाड़	2249546	16509764

नामिका

संबंधित सहायक

विश्वविद्यालय प्रेस

विशेष कार्याधिकारी
विश्वविद्यालय प्रेस

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस लेखा संख्या 10851295354
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां और अदायगियाँ लेखा

प्राप्तिया	धनराशि ₹ में		भुगतान	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I आरंभिक शेष			I व्यय		
बैंक बकाया	218213	1537189	स्थापना खर्चे	958138	3570051
बैंक में जमा			
II मुद्रण तथा जिल्दसाजी कार्य से प्राप्ति	3708955	11801768	II अन्य प्रशासनिक खर्चे		
		0	खर्चे	649	9592588
III कटौतियाँ/ वसूलियाँ	211421	1206346	धन प्रेषण	210071	1164451
			III अंतिम शेष		
			बैंक शेष	2969731	218213
जोड़	4138589	14545303	जोड़	4138589	14545303

एस. आर.
उपकुलसचिव (वित्त)
२२११५

कपिल अग्र०
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
हॉल तथा छात्रावास
31 मार्च 2020 तक का तुलन-पत्र

निधियों के स्रोत	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र/पूँजीगत निधि	363265158	316409334
नामोद्दिष्ट/उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	54961581	48810145
चालू देयताएं और प्रावधान	21603087	19274316
कुल	439829826	384493795
निधियों के अनुप्रयोग		
अचल परिसंपत्तियां		
मूर्त परिसंपत्तियां	16389854	18092779
अमूर्त परिसंपत्तियां	24292	9740
पूँजी वर्क इन प्रोग्रेस	----	----
उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश		
दीर्घकालिक	----	----
अल्पकालिक	12361659	12753269
निवेश - अन्य	89068821	74581662
चालू परिसंपत्तियां	306483853	267281021
ऋण, अग्रिम और जमा	15555572	11829548
विविध खर्च	(54224)	(54224)
कुल	439829826	384493795

एस. डार
उपकुलसचिव (वित्त)
२४/३/२०

कपिल अग्र०
वित्त अधिकारी

कविता शर्मा
कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
हॉल तथा छात्रावास
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

विवरण	धनराशि ' में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय (क)		
शैक्षणिक प्राप्तियां	63276944	58949398
अनुदान/आर्थिक सहायता	137001868	141784977
निवेशों से आय	21183494	18956006
अर्जित ब्याज	1990898	1648722
अन्य आय	58893411	55933570
पूर्व अवधि आय	-----	-----
कुल (क)	282346615	277272673
व्यय (ख)		
स्टाफ भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	159821329	158610939
शैक्षणिक व्यय	5073	0
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	63388740	67732899
परिवहन व्यय	538525	531863
मरम्मत एवं रखरखाव	9048521	9213593
वित्तीय लागत	134464	355650
मूल्यहास	4811096	5199543
अनुदानों, आर्थिक सहायताओं इत्यादि पर खर्च	---	---
पूर्व अवधि आय	---	---
कुल (ख)	237747748	241644487
आय पर व्यय के आधिक्य का शेष (क-ख)	44598867	35628186
अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष का पूंजीगत निधि में शामिल	44598867	35628186

प्रम. आर
उपकुलसचिव (वित्त)
इत्यादि

कपिल अग्रवाल
वित्त अधिकारी

कविता कान्त
कोषाध्यक्ष

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और अदायगियाँ

प्राप्तियाँ			धनराशि ₹ में		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 आरंभिक शेष			1 खर्चे		
- नकदी	71275	163129	(क) स्थापना खर्चे	160183587	158161911
- बैंक में शेष	136690466	63404134	(ख) शैक्षणिक खर्चे	5073	0
- अग्रदाय	414581	336061	(ग) प्रशासनिक खर्चे	62155314	65676872
- जमा खाता	189832240	216175292	(घ) परिवहन व्यय	538525	545863
- एफ. डी. के व्याज पर कर की कटौती	27532	----	(ड) मरम्मत और अनुरक्षण	8930708	9071187
II. अन्य बैंक बकाया	0	3797750	II. (अ) उद्दिष्ट निधियों से भुगतान	17770394	19262108
III. प्राप्त अनुदान	140122315	141931663	(ब) परियोजनाओं से भुगतान	45112	0
IV. शैक्षणिक प्राप्तियाँ	46212426	53247743	III- किए गए निवेश तथा जमा	14489023	8545263
V. उद्दिष्ट-अक्षय निधि के प्रति प्राप्तियाँ	23570250	22406384	IV. स्थायी परिसंपत्तियों तथा चल रहे पूँजीगत	3010475	2869336
VI- प्राप्त ब्याज	9383691	3774672	कार्यों पर खर्चे		
VII. निवेशों से आय	15530963	22173313	V- वित्तीय प्रभार	131677	85514
VIII- अन्य आय	73782592	61165799	VI. जमा और अग्रिम	886730	6550019
IX. जमा और अग्रिम	2615514	1316120	VII. अन्य अदायगियाँ	6547635	7199895
X. कोई अन्य प्राप्तियाँ	5898589	13830066	VIII. अंत शेष		
			- हाथ रोकड़	69906	71275
			- बैंक में शेष	91139124	136690466
			- अग्रदाय	194872	414581
			- जमा खाता	277995721	188550304
			- एफ. डी. के व्याज पर कर की कटौती	58557	27532
जोड़	644152433	603722126	जोड़	644152433	603722126

एस. आर

उपकुलसचिव (वित्त)

कपिल अग्र

वित्त अधिकारी

कविता कान्ना

कोषाध्यक्ष

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
Office of the Director General of Audit (Home, Education and Skill Development)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए. एम. जी-1/एस. ए. आर./डी.यू./9-66/2020-21/

दिनांक: 05.10.2021

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
शिक्षा मंत्रालय,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2019-20 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय,

मैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2019-20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

संलग्नक: यथोपरि

भवदीया,

—हस्ता—

निदेशक (ए.एम.जी-1)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके 13 अनुरक्षित संस्थानों के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को 1922 के दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम सं. VIII के खंड 39(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(2) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के संलग्न तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों में दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रेस, हाल एवं छात्रावासों और इसके 13 अनुरक्षित संस्थानों के लेखा शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों(औचित्य और नियमनिष्ठा) एवं कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन संव्यवहारों लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो जांच रिपोर्ट/सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

- i. हमने रिपोर्ट में अवलोकन के अधीन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
- ii. रिपोर्ट में टिप्पणियों के अधीन इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।
- iii. हमारी राय में, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के 13 अनुरक्षित संस्थानों द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित अभिलेखों (रिकार्ड्स) को अनुरक्षित किया गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है बशर्ते प्रतिवेदन में टिप्पणियां शामिल हों।
- iv. इसके अलावा हम सूचित करते हैं :

भाग – I

दिल्ली विश्वविद्यालय

ए. तुलन-पत्र

ए. 1 निधियों का अनुप्रयोग(परिसंपत्तियां)

ए. 1.1 स्थायी परिसंपत्तियां(अनुसूची-4)- रु. 366.09 करोड़

पूंजीगत कार्य प्रगति में(कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस) – रु. 12.29 करोड़

उपर्युक्त में रु. 12.05 करोड़ धनराशि के निम्नलिखित पूंजीगत कार्य शामिल हैं जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पूरा कर लिया गया था तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था और वे वर्तमान में चालू(ऑपरेशनल) थे।

क्रमांक	परियोजना कार्य का नाम	पूरा होने का महीना	धनराशि (रुपये में)
1.	संस्थान के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास	जनवरी 2017	75918529
2.	परीक्षा भवन संबंधी परियोजना(प्रोजेक्ट)	जुलाई 2014	21009174
3.	कार्यालय अवसंरचना की मरम्मत और नवीकरण के लिए परियोजना	जुलाई 2018	5811596
4.	लेक्चर हॉल के निर्माण की परियोजना (सामाजिक विज्ञान भवन)	मई 2013	8028100
5.	गणित विज्ञान भवन में लेक्चर हॉल संबंधी परियोजना(प्रोजेक्ट)	मई 2015	5247965
6.	दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नवीनीकरण की परियोजना	दिसंबर 2005	3933387
7.	प्राणि विज्ञान विभाग का वर्टिकल एक्सटेंशन	अक्टूबर 2016	502590
	कुल		120451341

निर्माण के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों को केवल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शीर्ष के प्रति तब तक दर्शाया जा सकता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों। इस मामले में भवन पिछले दो से पंद्रह वर्षों से उपयोग में थे और गैर पूंजीकरण के परिणामस्वरूप रु.12.05 करोड़ की पूंजीगत कार्यों में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट), रु.9.42 करोड़ की स्थायी परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) और रु.2.63 करोड़ की मूल्यहास में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. विश्वविद्यालय प्रेस खाता

बी. 1 निधियां एवं देयताएं – रु. 1.90 करोड़

रु.1.74 करोड़ की धनराशि को ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के तहत अंतर(इंटरा) बैंक अंतरण के रूप में दर्शाया गया है जो वर्ष 2010-11 से खातों में दिखाई दे रहा है। इस धनराशि का विवरण लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अभाव में लेखापरीक्षा इस धनराशि का सत्यापन नहीं कर सका। इसे

वर्ष 2018-19 से इंगित किया जा रहा है लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को विवरण उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बी. 2 परिसंपत्तियां – रु.1.90 करोड़

- i) उपर्युक्त में वर्ष 1975-76 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि हेतु प्राप्य धनराशि रु. 1.55 करोड़ शामिल हैं। प्राप्य धनराशि का पार्टी-वार विवरण और पुष्टि हेतु लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा में आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया जा सका। इसे वर्ष 2018-19 से इंगित किया जा रहा है लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को विवरण उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- ii) उपर्युक्त में रु. 5.63 लाख धनराशि का क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड(रॉ मटेरियल) शामिल है। जिसके अभिलेखों और विवरणों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा में आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

सी. सामान्य(जनरल)

विश्वविद्यालय द्वारा लागू मूल्यहास की दरें और विधि शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों और विधियों के अनुसार नहीं हैं।

डी. सहायता अनुदान

खातों के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 2019-20 के दौरान रु.584.88 करोड़(आवर्ती/वेतन अनुदान : रु.573.88 करोड़ और पूंजीगत अनुदान : रु. 11करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। 1 अप्रैल, 2019 को इसमें रु. 28.54 करोड़(पूंजीगत अनुदान) का प्रारंभिक शेष था। कुल रु. 613.42 करोड़ की धनराशि में से इसने 31 मार्च, 2020 तक रु. 28.76 करोड़ (पूंजीगत अनुदान) की शेष(बैलेंस) धनराशि को छोड़कर रु. 584.66 करोड़(आवर्ती/वेतन अनुदान : रु.573.88 करोड़ और पूंजीगत अनुदान: रु.10.78 करोड़) उपयोग किये। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के पास रु. 579.08 करोड़ के योजनागत सहायता अनुदान का आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) है और वर्ष के दौरान रु. 53.83 करोड़ की प्राप्तियां थी। वर्ष के दौरान रु.632.91 करोड़ की कुल निधियों में से इसने 31 मार्च, 2020 तक रु.631.04 के अप्रयुक्त सहायता अनुदान को छोड़कर वर्ष के दौरान रु. 1.87 करोड़ का उपयोग किया। इस योजनागत अनुदान का विस्तृत विवरण और यू.जी.सी को इस योजनागत अनुदान को वापस न करने के कारणों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

भाग - II

अनुरक्षित संस्थाएं

परिचय

वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की 13 संस्थाएं (इसके बाद आगे अनुरक्षित संस्थाएं कहा गया है) थीं। जो इसके संविधि के अनुसार विश्वविद्यालय की अभिन्न अंग हैं। अनुरक्षित संस्थाएं मुख्यतः अनुरक्षण

के प्रयोजन तथा विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों द्वारा वित्तपोषित हैं। ये संस्थाएं आंशिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय तथा आंशिक रूप से केंद्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय) और यू.जी.सी. द्वारा वित्तपोषित थीं। इन संस्थानों से प्राप्तियों के अन्य स्रोतों में विद्यार्थियों से प्राप्त की गई फीस, भवनों का किराया, सहायक सेवाओं से प्राप्तियां इत्यादि शामिल थीं। विश्वविद्यालय के निम्नलिखित 13 अनुरक्षित संस्थान हैं :

- (i) कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र
- (ii) आर्यभट्ट महाविद्यालय
- (iii) दयाल सिंह महाविद्यालय
- (iv) दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय
- (v) किरोड़ीमल महाविद्यालय
- (vi) मिरांडा हाउस
- (vii) रामानुजन महाविद्यालय
- (viii) राम लाल आनंद महाविद्यालय
- (ix) वल्लभाई पटेल चेस्ट संस्थान
- (x) विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय
- (xi) मुक्त अध्ययन विद्यालय
- (xii) देशबंधु महाविद्यालय
- (xiii) व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय

लेखे पर टिप्पणी

1. कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र

ए. सामान्य (जनरल)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् पेन्शन, उपदान (ग्रेज्युटी) और छुट्टी नकदीकरण का लेखा-जोखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है। यह लेखांकन नीति शिक्षा मंत्रालय और लेखांकन मानक 15 द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो यह निर्धारित करती है कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए खातों में प्रावधान किए जाने चाहिए।

बी. सहायता अनुदान

कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ने वर्ष 2019-20 के दौरान कृषि मंत्रालय से रु. 95.00 लाख का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसका 1 अप्रैल, 2019 को रु. 20.32 लाख का आरंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) और वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में आय रु. 0.30 लाख थी। 31 मार्च, 2020 को

रु. 115.62 लाख की कुल निधि में से रु.4.97 लाख के शेष को छोड़कर रु.110.65 लाख का उपयोग किया।

2. आर्यभट्ट महाविद्यालय

ए. तुलन-पत्र

ए.1 देयताएं

ए.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान(अनुसूची-3) – रु. 121.26 करोड़

(i) उपर्युक्त में रु.43.16 करोड़ का अप्रयुक्त सहायता अनुदान शामिल है, जबकि लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक अप्रयुक्त सहायता अनुदान रु. 58.91 करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप रु. 15.76 करोड़ की वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) और पूंजीगत निधि में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

(ii) सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान पर सभी ब्याज अथवा अन्य आय अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। आर्यभट्ट महाविद्यालय ने यू.जी.सी से प्राप्त सहायता अनुदान पर रु. 3.09 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जिसे न तो यू.जी.सी. को वापस किया गया और न ही इसके लिए देनदारियां सृजित की गईं। इसके बजाए, खातों में आय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप रु. 3.09 करोड़ की आय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और वर्तमान देनदारियों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं खातों पर टिप्पणियां(नोट्स)

खाता संख्या 3 पर टिप्पणियों के अनुसार मार्च, 2019 से फरवरी, 2020 तक वेतन पर होने वाले खर्च को दर्ज किया गया है। माह मार्च, 2020 के वेतन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खातों पर यह टिप्पणियां लेखांकन के प्रोद्घन आधार के उल्लंघन में है जो निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी खर्चों का लेखाजोखा उसी वर्ष में किया जाना चाहिए।

सी. सहायता अनुदान

आर्यभट्ट महाविद्यालय को वर्ष के दौरान यू.जी.सी से रु.37.91 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है और और 1 अप्रैल, 2019 को रु. 50.68 करोड़ के सहायता अनुदान का आरंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) था। इसने 31 मार्च, 2020 को रु. 58.91 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान को छोड़कर रु. 29.68 करोड़ उपयोग किये है।

3. दयाल सिंह महाविद्यालय

ए. तुलन-पत्र

ए.1 निधि के स्रोत

ए.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-3) – रु. 225.49 करोड़

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यू.जी.सी) द्वारा डी.एस.सी को सहायता अनुदान की संस्वीकृति के नियम और शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज यू.जी.सी को वापस किया जाना है। वर्ष के दौरान अनुदान सहायता पर रु.69.52 लाख की ब्याज आय अर्जित की गई है, लेकिन इसे यू.जी.सी को वापस करने अथवा इसके लिए देनदारियां बनाने के बजाए महाविद्यालय की आय के रूप में लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप रु.69.52 लाख की अर्जित आय-ब्याज में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

ए.2 निधियों का अनुप्रयोग

ए.2.1 स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची-4) – रु. 8.87 करोड़

उपर्युक्त में महाविद्यालय भवन के फेज 1 से संबंधित रु. 4.37 करोड़ की स्थायी परिसंपत्ति को शामिल करना शामिल है, जो पूरा हो चुका है और पाँच वर्ष पहले(उपयोग करने की सही तिथि प्रस्तुत नहीं की गई है) उपयोग में लाया गया है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20(पूर्वव्यापी प्रभाव) से प्रभावी अवधि के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार 2% की दर से रु.43.66 लाख के बजाए 5% की दर से इस पर रु.98.78 लाख का मूल्यहास लगाया गया है और इस प्रकार रु.55.12 लाख का अतिरिक्त व्यय प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप रु.55.12 लाख की स्थायी-परिसंपत्ति-भवन में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) और व्यय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उसमें निर्धारित दरों पर सीधी रेखा (स्ट्रेट लाइन) पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाना है, हालांकि डी.एस.सी ने मूल्यहास की विभिन्न दरों के साथ रिटेन डाउन पद्धति का पालन किया गया है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप का उल्लंघन है।

ए.2.2 चालू परिसंपत्तियां (अनुसूची-7) – रु. 62.18 करोड़

बैंक समाधान विवरण में दर्शाए गए बैंक शेष के अनुसार और चार बैंक खातों में बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों के अनुसार शेष(बैलेंस) राशियों में अंतर था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

(रुपए में)

खाता नं.	बैंक प्रमाण पत्र के अनुसार 31.03.2020 तक बैंक में शेष राशि (बैलेंस)	बैंक समाधान विवरण के अनुसार 31.03.2020 को शेष राशि(बैलेंस)	बैंक बैलेंस में अंतर
66013734584	406363.00	358560.93	47802.07
66013734629	243280.00	221843	21437.00
66013734119	28589053.27	29651274	(-)10,62,221.19
66013734266	28283196.88	28304041.88	(-)20845

इन अंतरों के कारण लेखापरीक्षा में इन बैंक खातों के बैंक बैलेंस का सत्यापन नहीं किया जा सकता। बैंक खाता संख्या 66013734119 में रु.10.62 लाख का अंतर वर्ष 2014-15 से बताया जा रहा है लेकिन दयाल सिंह महाविद्यालय द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई (रेमेडियल एक्शन) नहीं की गई है।

बी. जी.पी.एफ खाता

बी.1 निवेश

उपर्युक्त में पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम(रु.31 लाख) और पंजाब वित्तीय निगम(रु. 28.20 लाख + रु. 16.80 लाख) के बांडों में रु.76.00 लाख का निवेश शामिल है, जो क्रमशः दिनांक 27.01.2016 तथा दिनांक 01.06.2016 को परिपक्व हो गए हैं, लेकिन धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन दावों के प्राप्त न होने के तथ्य को लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाया जाना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए।

सी. प्राप्तियां और भुगतान खाता

वर्ष 2019-20 के दौरान नवीन परियोजना निधि एवं छात्र निधि से धनराशियां क्रमशः रु.9.50 करोड़ तथा रु. 7.50 करोड़ सावधि जमा की गई और उनका नकदीकरण किया गया। रु. 57.07 लाख(नई परियोजना निधि : रु. 32.40 लाख और छात्र निधि : रु.24.67 लाख) धनराशि के इन निवेशों पर अर्जित ब्याज को प्राप्तियों एवं भुगतान खातों में नहीं लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप रु. 57.07 लाख की प्राप्तियों और भुगतान में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

डी. सहायता अनुदान

दयाल सिंह महाविद्यालय को वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 67.39 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसका आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) रु. 13.36 करोड़ था। रु. 80.75 करोड़ के कुल अनुदान में से, इसने दिनांक 31.03.2020 को रु.0.71 करोड़ की अव्ययित शेष को छोड़कर रु. 80.04 करोड़ का उपयोग किया।

4. दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय

ए. तुलन-पत्र

ए.1 देयताएं

ए.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-3) – रु.108.32 करोड़

सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता को जारी सहायता अनुदान पर सभी ब्याज अथवा अन्य आय अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। दयाल सिंह महाविद्यालय(सांध्य) ने न तो रु. 46.95 लाख की ब्याज रूपी आय यू.जी.सी को वापस की और न ही इसके लिए देनदारी बनाई। इसके परिणामस्वरूप रु. 46.95 लाख की वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) और पूंजीगत निधि में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. सामान्य(जनरल)

योजनागत ओर गैर-योजनागत का नामपद्धित(नॉमेनक्लेचर) वित्तीय वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। तथापि, खातों की अनुसूची-10 में इस नामपद्धित का पालन किया गया है। इसे यू.जी.सी/मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधारा जा सकता है।

सी. सहायता अनुदान

महाविद्यालय द्वारा मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान दयाल सिंह महाविद्यालय को रु. 26.14 करोड़ (गैर-योजनागत) का अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) रु. 18.06 करोड़ (योजनागत : रु. 1.08 करोड़ और गैर-योजनागत : रु.16.98 करोड़) थी। इसकी अपनी जनित योजनागत प्राप्तियां रु. 0.03 करोड़ थीं। उपलब्ध कुल निधियों में से, इसने रु.18.30 करोड़(योजनागत : रु. 1.07 करोड़ और गैर-योजनागत : रु. 17.23 करोड़) के बैलेंस को छोड़कर रु. 25.92 करोड़(योजनागत : रु.0.03 करोड़, गैर-योजनागत : रु. 25.89 करोड़) का उपयोग किया।

5. किरोड़ीमल महाविद्यालय

ए. सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान, किरोड़ी मल महाविद्यालय को रु.72.28 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसका आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) रु. 15.77 करोड़ था। रु. 88.05 करोड़ की कुल निधि में से महाविद्यालय ने 31 मार्च, 2020 तक रु. 14.17 करोड़ के बैलेंस को छोड़कर रु. 73.88 करोड़ का उपयोग किया।

के.एम.सी. छात्रावास ने रु. 1.34 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसका पिछले वर्ष का आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) रु. 1.19 करोड़ था। इसने वर्ष 2019-20 के दौरान 31 मार्च, 2020 तक रु.2.53 करोड़ की कुल निधियों में से रु.1.40 करोड़ के अव्ययित बैलेंस को छोड़कर रु. 1.13 करोड़ की धनराशि का उपयोग किया।

6. मिरांडा हाउस

ए. तुलन-पत्र

ए.1 निधियों के स्रोत

ए.1.1 चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-3) – रु. 248.42 करोड़

उपर्युक्त में महाविद्यालय के वेतन अनुदानों से सहायता अनुदान वेतन खाता और एफ.डी.आर पर अर्जित रु.2.20 करोड़ धनराशि का ब्याज शामिल नहीं है जो यू.जी.सी को प्रतिदेय है। इसके परिणामस्वरूप रु. 2.20 करोड़ की आय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और चालू देयताएं एवं प्रावधान में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

ए. 2 निधियों के स्रोत

ए.2.1 ऋण, अग्रिम एवं जमा(अनुसूची-8) – रु. 7.25 करोड़

रु. 6.19 करोड़ का अनुदान जिसके लिए मार्च, 2020 में संस्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन वास्तव में बैंक में अप्रैल, 2020 में बैंक में पैसा जमा किया गया था, इसे प्राप्य के बजाय प्राप्त अनुदान के रूप में माना गया था। इसके परिणामस्वरूप रु. 6.19 करोड़ की ऋण, अग्रिम एवं जमा में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) और चालू परिसंपत्तियों-बैंक बैलेंस में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. सामान्य(जनरल)

बी.1 ऋण, अग्रिम और जमा राशि में अग्रिम और नकद अथवा हाथ में(इन हैंड) वसूली योग्य अन्य धनराशि के तहत रु. 5.14 करोड़ की धनराशि शामिल है। धनराशि महाविद्यालय द्वारा वेतन और अन्य खर्चों के व्यय के लिए यू.जी.सी से प्राप्त अनुदान/समायोजन के संचयी कुल समायोजन से संबंधित है। धनराशि वर्ष 2000-01 से संचित है और यू.जी.सी के साथ कोई समायोजन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रु. 5.14 करोड़ ऋण, अग्रिम, और जमा तथा पूंजीगत निधि में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

बी.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3.2 के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मागदर्शन नोट में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यहास लिखित मूल्य पद्धति(रिटेन डाउन वैल्यु) पर प्रदान किया जाता है। यह लेखांकन नीति शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है जिसमें मूल्यहास को उसमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा(स्ट्रेट लाइन) पद्धति पर लगाया जाता है।

सी. सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान, मिरांडा हाउस महाविद्यालय को रु. 60.41 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसका 1 अप्रैल, 2019 को आरंभिक शेष रु. 20.72 करोड़ था। रु. 81.13 करोड़ की कुल निधियों में से महाविद्यालय ने 31 मार्च, 2020 को रु. 15.81 करोड़ के शेष को छोड़कर रु. 65.32 करोड़ उपयोग किये।

मिरांडा हाउस छात्रावास को रु. 1.12 करोड़ का गैर योजनागत अनुदान प्राप्त हुआ। इसका 1 अप्रैल, 2019 को रु. 0.77 करोड़ आरंभिक शेष था। इसने रु. 1.89 करोड़ के कुल अनुदान में से, वर्ष 2019-20 के दौरान 31 मार्च, 2020 को रु. 0.72 करोड़ के अव्ययित शेष को छोड़कर रु. 1.17 करोड़(गैर-योजनागत व्यय) की धनराशि का उपयोग किया था।

7. रामानुजन महाविद्यालय

ए. आय और व्यय

ए.1 व्यय

ए.1.1 प्रशासनिक और सामान्य(जनरल) व्यय(अनुसूची-17) – रु. 1.82 करोड़

स्थापना व्यय(गैर-शिक्षण) की रु.2.23 करोड़ धनराशि में संविदा कर्मचारियों के रु. 80.69 लाख की वेतन संबंधी धनराशि भी शामिल थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप के अनुसार संविदा कर्मचारियों का वेतन प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप रु. 80.69 लाख की स्थापना व्यय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और प्रशासनिक व्यय में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. सामान्य(जनरल)

बी.1 सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अनुदानों पर ब्याज यू.जी.सी को वापस किया जाना है अथवा इसे वापस किए जाने तक वर्तमान देयता के तहत दर्शाया जाना है। हालांकि, महाविद्यालय ने अनुदान की ब्याज आय रु. 30 लाख को अपनी आय के रूप में लिया है। जिसके परिणामस्वरूप रु. 30 लाख की पूंजीगत निधि में अनुवर्ती अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) के साथ आय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और वर्तमान देनदारियों तथा प्रावधानों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

बी.2 महाविद्यालय द्वारा लागू मूल्यहास की दरें शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नहीं है।

सी. सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान महाविद्यालय को रु. 26.75 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। इसका आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) 1 अप्रैल, 2019 को रु. 13.30 करोड़ है। रु. 40.05 करोड़ की कुल निधि में से महाविद्यालय ने 31 मार्च, 2020 को रु. 16.56 करोड़ के अव्ययित शेष को छोड़कर रु. 23.49 करोड़ धनराशि का उपयोग किया।

महाविद्यालय को विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान भी प्राप्त होता है। महाविद्यालय को विशिष्ट उद्देश्य के लिए रु. 6.22 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। इसका आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) (-) रु.0.91 करोड़ था। रु.5.31 करोड़ की कुल निधि में से महाविद्यालय ने 31 मार्च, 2020 को रु. 2.81 करोड़ के अव्ययित शेष को छोड़कर रु. 2.50 करोड़ धनराशि का उपयोग किया।

8. राम लाल आनंद महाविद्यालय

ए. तुलन-पत्र

ए.1 देयताएं

ए.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान(अनुसूची-3)- रु. 146.56 करोड़

उपर्युक्त अनुसूची में दर्शाए गए रु.36.39 करोड़ के अप्रयुक्त सहायता अनुदान में रु.8.09 करोड़ का ओ.बी.सी. अनुदान शामिल है, जिसका पिछले वर्ष में परिसंपत्ति की खरीद के लिए उपयोग किया जा चुका है। पूंजीगत निधि से घटाकर धनराशि को वर्तमान देनदारियों में जोड़ा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किए गए अनुदान को पूंजीगत निधि में जोड़ा जाना है। महाविद्यालय द्वारा उपर्युक्त लेखांकन के परिणामस्वरूप रु. 8.09 करोड़ की पूंजीनिधि में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) और वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधानों में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. आय और व्यय खाता

बी.1 आय

बी.1.1 अर्जित ब्याज(अनुसूची-12)- रु. 49.45 लाख

उपर्युक्त अनुसूची वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज आय को दर्शाती है। सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान पर ब्याज यू.जी.सी को वापस किया जाना है अथवा इसे वापस होने तक वर्तमान देयता के तहत दर्शाया जाना है। हालांकि, महाविद्यालय ने अनुदान के ब्याज आय को अपनी आय के रूप में लिया है। इसके परिणामस्वरूप रु. 49.45 लाख की आय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और वर्तमान देनदारियों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

बी.2 व्यय

बी.2.1 मूल्यहास और परिशोधन(अनुसूची-4)- रु. 56.55 लाख

उपर्युक्त में रु.15.84 लाख की धनराशि के भवन पर मूल्यहास शामिल है जबकि सही मूल्यहास रु. 18.56 लाख है, जिसके परिणामस्वरूप रु.2.72 लाख की मूल्यहास में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) और स्थायी परिसंपत्ति में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

सी. सहायता अनुदान

महाविद्यालय के पास 1 अप्रैल, 2019 को रु.32.55 करोड़ के सहायता अनुदान का आरंभिक शेष था और इसने वर्ष के दौरान रु.24.97 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया। रु.57.52 करोड़ की कुल निधि में से महाविद्यालय ने 31 मार्च, 2020 को रु. 28.38 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान को छोड़कर रु.29.14 करोड़ धनराशि का उपयोग किया।

हालांकि खातों की अनुसूची-10 में दिनांक 31.03.2020 तक अप्रयुक्त सहायता अनुदान को रु.36.39 करोड़ धनराशि के रूप में दिखाया गया है, जिसमें रु. 8.09 करोड़ धनराशि का ओ.बी.सी अनुदान शामिल है, जिसका उपयोग पिछले वर्ष में संपत्ति की खरीद के लिए पहले ही किया जा चुका है। खातों की अनुसूची-10 में सुधार की आवश्यकता है।

9. वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान

ए. सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, नई दिल्ली को रु. 63 करोड़ का कुल सहायता अनुदान प्राप्त किया। 1 अप्रैल, 2019 को इसका आरंभिक बैलेंस(ओपनिंग बैलेंस) रु. 20.01 करोड़ था। रु.83.01 करोड़ की कुल निधियों में से 31 मार्च, 2020 तक संस्थान ने रु. 65.11 का उपयोग किया है और रु.8.40 करोड़ के बैलेंस को छोड़कर मंत्रालय को रु.9.50 करोड़ वापस किए।

10. विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय

ए. तुलन-पत्र

ए.1 परिसंपत्तियां

ए.1.1 स्थायी परिसंपत्तियां(अनुसूची-4) - रु. 5.87 करोड़

उपर्युक्त में रु. 2.70 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शामिल है। यह धनराशि वर्ष 2008-2009 से वर्ष 2014-15 की अवधि से संबंधित है। सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन पूर्णता प्रमाण-पत्र के अभाव में स्थायी परिसंपत्तियों में स्थानांतरित नहीं किए गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप रु. 2.70 करोड़ की वर्क-इन-प्रोग्रेस में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और स्थायी परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है। मूल्यहास को भी उनके उपयोग में आने वाली तिथियों के अनुसार प्रभारित किया जाना चाहिए।

ए.1.2 वर्तमान परिसंपत्तियां (अनुसूची-7)- रु. 44.67 करोड़

उपर्युक्त में छात्र कल्याण निधि के तहत निर्दिष्ट(डेजीनेटेड)/उद्दिष्ट/अक्षय निधि से रु. 7.28 करोड़ का निवेश शामिल हैं जिसे निर्दिष्ट(डेजीनेटेड)/उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप रु.7.28करोड़ की वर्तमान परिसंपत्तियां में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और निर्दिष्ट(डेजीनेटेड)/उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

बी. आय और व्यय लेखा

बी.1 आय

बी.1.1 अर्जित ब्याज(अनुसूची 12)- रु. 1.70 करोड़

उपर्युक्त अनुसूची में वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित रु.1.69 करोड़ की ब्याज रूपी आय शामिल है। जी.एफ.आर के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान पर ब्याज यू.जी.सी को वापस किया जाना है अथवा इसे वापस होने तक वर्तमान देयता के तहत दर्शाया जाना है। हालांकि, महाविद्यालय ने ब्याज रूपी आय को अपनी आय के रूप में लिया है। इसके परिणामस्वरूप रु. 1.69 करोड़ की आय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

सी. सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ने रु.152.76 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया। 1 अप्रैल, 2019 को इसका आरंभिक शेष रु. 25.26 करोड़ था और वर्ष के दौरान रु. 1.70 करोड़ की ब्याज रूपी आय अर्जित की। रु.179.72 करोड़ की कुल निधियों में से इसने रु. 26.87 करोड़ के बैलेंस को छोड़कर रु. 152.85 करोड़ उपयोग किये।

11. मुक्त शिक्षा विद्यालय

ए. सहायता अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान विद्यालय(स्कूल) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई अनुदान नहीं मिला है।

12. देशबंधु महाविद्यालय

ए. तुलन-पत्र

ए.1 देयताएं

ए.1.1 चालू देयताओं एवं प्रावधानों (अनुसूची-3) – रु. 270.36 करोड़

(i) उपर्युक्त में रु. 172.23 लाख की देनदारियां निम्नलिखित विवरण के अनुसार शामिल हैं जिनका विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

लेखा शीर्ष	धनराशि लाख में	अभ्युक्तियां
अवैतनिक वेतन	1.74	
वाहन परिक्रामी(रेवॉल्विंग) निधि	88.64	
भवन की मरम्मत के लिए विशेष सहायता	6.67	प्रशासनिक ब्लॉक की मरम्मत के लिए 10 वर्ष पहले महाविद्यालय को यह राशि मिली थी
भूमिगत पानी की टंकी	3.48	यह वर्ष 2010-11 के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी से प्राप्त अव्ययित शेष है
प्रोरेटा पेन्शन (डॉ. मान सिंह)	1.31	
भर्ती/विज्ञापन के लिए निधि	13.91	
यू.डी.एफ इनब्रिडिंग केंद्र	5	
असेम्बली कक्ष	7.00	
गैर-आवर्ती का बैलेंस	0.62	
गैर-आवर्ती अनुदान	43.86	
महायोग	172.23	

विवरण के अभाव में इन देनदारियों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ii) उपर्युक्त में रु. 15.48 करोड़ का अप्रयुक्त सहायता अनुदान शामिल है जबकि 31 मार्च, 2020 को अप्रयुक्त सहायता अनुदान रु. 27.04 करोड़ (सहायता अनुदान पैरा) है। इसके परिणामस्वरूप रु. 11.56 करोड़ की चालू देयताएं एवं प्रावधान में न्यूनोक्ति (अंडरस्टेटमेंट) और पूंजीगत निधि में अत्युक्ति (ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

ए.2 परिसंपत्तियां

ए.2.1 स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची-4) – रु. 5.45 करोड़

महाविद्यालय के पास 10.34 एकड़ जमीन है जो फ्रीहोल्ड है। लेकिन खाते में जमीन की कीमत नहीं ली गई है। जैसा कि जमीन उपहार में दी गई है, इसे खातों में रु.1 के नाममात्र मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए।

बी. आय और व्यय खाता

बी.1 आय

बी.1.1 अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची-10) – रु. 15.65 करोड़

उपर्युक्त अनुसूची ठीक तरीके से नहीं बनाई गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(i) दिनांक 1/4/2019 को सहायता अनुदान का आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) रु.2.77 करोड़ लिया गया है, जबकि दिनांक 1/4/2019 को आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) रु.14.40 करोड़ (जैसा कि वर्ष 2018-19 के खातों पर एस.ए.आर में बताया गया) है।

(ii) उपर्युक्त अनुसूची में पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान को रु. 16.59 लाख के रूप में दिखाया गया है, जबकि अभिलेखों के अनुसार वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान रु. 22.54 लाख है। फर्नीचर और जुड़नार(फिक्सचर) की खरीद पर रु.5.95 लाख उपर्युक्त अनुसूची में नहीं दर्शाया गया है।

(iii) उपर्युक्त अनुसूची में अंकगणितीय गणना के अनुसार, निष्पन्न(कैरिड आउट) बैलेंस को रु. 15,48,12,961 के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जबकि इसे रु.15,64,72,395 के रूप में दर्शाया गया है।

अनुसूची-10 में संशोधन की आवश्यकता है।

बी.1.2 अर्जित ब्याज(अनुसूची 12)- रु. 34.87 लाख

उपर्युक्त वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को दर्शाता है। यू.जी.सी के स्वीकृति आदेश के अनुसार, अर्जित ब्याज वर्ष 10.07.2020 तक यू.जी.सी को वापस किया जाना चाहिए। अर्जित ब्याज न तो यू.जी.सी को वापस किया गया है और न ही खातों में देयता के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप रु.34.87 लाख की आय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) और चालू देयताओं और प्रावधानों में न्यूनोक्ति (अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

सी. प्राप्तियां और भुगतान खाता

सी.1 प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार, 'उद्दिष्ट निधि के प्रति प्राप्तियां' को रु. 15.29 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था जबकि उद्दिष्ट निधि की अनुसूची 2 में इसे रु.16.11 करोड़ के रूप में दिखाया गया था। रु.81.85 लाख के अंतर का लेखापरीक्षा को मिलान नहीं किया गया था/स्पष्ट नहीं किया गया था।

डी. सामान्य(जनरल)

डी.1 लेखा पर टिप्पणियां(नोट्स ऑन अकाउंट्स)

महाविद्यालय ने अकादमिक ब्लॉक-5 के हिस्से का निर्माण और अकादमिक ब्लॉक-3 के विस्तार हेतु राइट्स लिमिटेड को रु.13.34 करोड़(वर्ष 2015-16 : रु. 10.32 करोड़ और वर्ष 2018-19 : रु. 3.02 करोड़) की अग्रिम धनराशि दी। कार्य दिनांक 29.08.2019 को पूर्ण कर महाविद्यालय को सौंप दिया गया है, जिसका उपयोग जुलाई, 2019 से किया जा रहा है, परंतु मार्च, 2020 को रु.13.34 करोड़ में से केवल रु.69.75 लाख को ही खातों में कार्य-प्रगति (वर्क-इन-प्रोग्रेस) के रूप में दर्शाया गया है और शेष धनराशि राइट्स से अंतिम बिल के अभाव में स्थायी परिसंपत्तियों को हस्तांतरण के बजाए ऋण और अग्रिम के तहत

दिखाया जा रहा है। इसके अलावा, भवन पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है। विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा खातों पर इसके प्रभाव की गणना नहीं कर सका।

डी.2 सामान्य भविष्य निधि के लिए खाते तैयार किए गए थे, लेकिन यह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित नहीं है और न ही उस खाते से संलग्न है जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी इस ओर इशारा किया गया था लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ई. सहायता अनुदान

खातों की अनुसूची-10 के अनुसार महाविद्यालय को वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ₹.87.60 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें ₹. 2.77 करोड़ की सहायता अनुदान की आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) थी। ₹.90.38 करोड़ की कुल आय में से महाविद्यालय ने ₹. 15.48 करोड़ के अव्ययित शेष को छोड़कर ₹.74.90 करोड़ धनराशि का उपयोग किया।

हालांकि अनुसूची-10 को सही ढंग से तैयार नहीं किया गया है जैसा कि रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या बी.1.1 में बताया गया है। रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या बी.1.1 को देखते हुए अनुसूची-10 के लिए सहायता अनुदान का सही आंकड़ा इस प्रकार होना चाहिए :-

महाविद्यालय को वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ₹.87.60 करोड़ का अनुदान सहायता प्राप्त हुई। इसमें सहायता अनुदान का आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) ₹.14.40 करोड़ था। ₹.102 करोड़ की कुल आय में से महाविद्यालय ने 31 मार्च, 2020 तक ₹.27.04 करोड़ के अव्ययित बैलेंस को छोड़कर ₹.74.96 करोड़(राजस्व व्यय ₹.74.73 करोड़ और पूंजीगत व्यय : ₹. 0.23 करोड़) का उपयोग किया है।

13. व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय

ए. सहायता अनुदान

व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यू.जी.सी. से ₹. 28.41 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। इसमें 1 अप्रैल, 2019 को ₹.32.19 करोड़(पिछले वर्ष की एस.ए.आर. के अनुसार) के सहायता अनुदान का आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस) था और वर्ष 2019-20 के दौरान ₹. 2.14 करोड़ की ब्याज रूपी आय थी। 31 मार्च, 2020 को ₹. 62.74 करोड़ की कुल निधियों में से महाविद्यालय ने ₹. 33.44 करोड़ के शेष को छोड़कर ₹.29.30 करोड़ उपयोग किए।

प्रबंधन पत्र:

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ अनुबंध में हैं।

vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके 13 अनुरक्षित संस्थानों के वित्तीय विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों तथा निम्नलिखित के अधीन साथ पढ़ें -

- विश्वविद्यालय प्रेस के खातों पर टिप्पणियाँ संख्या बी.1 और बी.2,
- देशबंधु महाविद्यालय के खातों पर टिप्पणियाँ संख्या ए.1.1(ii), बी.1.1
- दयाल सिंह महाविद्यालय के खातों पर टिप्पणियाँ ए.2.2
- आर्यभट्ट महाविद्यालय के खातों पर टिप्पणियाँ संख्या ए.1.1(i)
- राम लाल आनंद महाविद्यालय के खातों पर टिप्पणियाँ संख्या डी.

और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उपर्युक्त और अन्य महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख किया गया है, जो भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

क. जहाँ तक वे 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके 13 अनुरक्षित संस्थानों के कार्यों की स्थिति के तुलनपत्र से संबंधित हैं ; और

ख. जहाँ तक वे उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय, राम लाल आनंद महाविद्यालय, रामानुजन महाविद्यालय, विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, देशबंधु महाविद्यालय, व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, किरोड़ीमल महाविद्यालय, आर्यभट्ट महाविद्यालय, मुक्त शिक्षा विद्यालय(स्कूल) एवं वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान(इंस्टीट्यूट) और मिरांडा हाउस के संबंध में घाटे की आय और व्यय खाते तथा दयाल सिंह महाविद्यालय के मामले में अधिशेष से संबंधित हैं।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

लेखापरीक्षा महानिदेशक
(गृह, शिक्षा और कौशल विकास)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

दिल्ली विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली निम्नलिखित कारणों से पर्याप्त नहीं है :

- विश्वविद्यालय में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है लेकिन कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल नहीं है।
- वर्ष 2019-20 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।
- अनुवर्ती कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी क्योंकि दिनांक 31.03.2020 को 125 आंतरिक लेखापरीक्षा बकाया थे।
- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 13 अनुरक्षित संस्थानों की लेखापरीक्षा बकाया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अनुरक्षित संस्थानों के नाम	लेखापरीक्षा अवधि
1.	आर्यभट्ट महाविद्यालय	2012-13
2.	रामानुजन महाविद्यालय	2012-13
3.	मुक्त अध्ययन विद्यालय	2011-12
4.	विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	2014-15
5.	व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय	2014-15
6.	दयाल सिंह महाविद्यालय(सांध्य)	2015-16(रिपोर्ट प्रतीक्षारत)
7.	कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र	2012-13
8.	वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान	2012-13
9.	देशबंधु महाविद्यालय	2012-13
10.	दयाल सिंह महाविद्यालय (प्रातः)	2014-15
11.	मिरांडा हाउस	2011-12
12.	किरोड़ीमल महाविद्यालय	2014-15
13.	राम लाल आनंद महाविद्यालय	2013-14

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

दिल्ली विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण को निम्नलिखित क्षेत्रों में मजबूती प्रदान किए जाने की आवश्यकता है:-

- लंबित गैर-समाधान धनराशि के समाधान के लिए बैंक समाधान विवरण पर अनुवर्ती कार्रवाई। बी.आर.एस के अनुचित अनुवर्ती के कारण स्वीकृत प्रक्रियाओं से विचलन में बैंक खाता संख्या 10851300636 के बी.आर.एस में रु.82.39 लाख के अंतर को मार्च, 2020 में कैशबुक में प्राप्तियों के रूप में लिया गया था और बैंक द्वारा खाता

संख्या 10851299392 में दिए गए रु.4.62 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट का समाधान नहीं किया जा सकता और वर्ष 2019-20 में कैशबुक में प्राप्तियों के रूप में लिया गया।

- दिनांक 31.03.2020 तक रु. 308.36 करोड़ के अग्रिमों और जमा में योजनागत खाते से रु. 181.17 करोड़ की धनराशि का अग्रिम शामिल है। उपकरण एवं सेवाओं की खरीदी हेतु विभिन्न विभागों को जारी किये गए इन अग्रिमों का निपटान वर्ष 2007 से लंबित है।
- बाह्य लेखापरीक्षा आपत्ति(लेनदेन लेखापरीक्षा) पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं है, क्योंकि दिनांक 31.03.2020 तक 41 पैरा बकाया थे।
- विश्वविद्यालय ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने स्वीकृत खाते निर्धारित समय से 9 महीने के विलंब से प्रस्तुत किए।

कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र

- ए.ई.आर.सी के निदेशक का दिनांक 01.02.2006 से रिक्त था। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त मानद निदेशक केंद्र का कार्यभार देख रहे थे।
- वर्ष के दौरान रु.50,000/- की स्थायी परिसंपत्तियों को जेम(जीईएम) के माध्यम से नहीं खरीदा गया क्योंकि ए.ई.आर.सी ने स्वयं को जेम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया है। यह सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रावधान का उल्लंघन है।

देशबंधु महाविद्यालय

- जी.पी.एफ/सी.पी.एफ हेतु ब्रॉडशीट का रखरखाव नहीं किया गया।
- प्रत्येक माह की समाप्ति पर अंत शेष (क्लोजिंग बैलेंस) का प्रमाणपत्र रोकड़बही(कैश बुक) में दर्ज नहीं किया गया था। डी.डी.ओ द्वारा जांच की गई के प्रतीकस्वरूप रोकड़बही(कैश बुक) पर हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं।
- बाह्य लेखापरीक्षा आपत्ति(लेनदेन लेखापरीक्षा) पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2010-13 की अवधि से संबंधित दिनांक 31.03.2020 तक 21 पैरा बकाया थे।

दयाल सिंह(प्रातः)

- बाह्य लेखापरीक्षा आपत्ति(लेनदेन लेखापरीक्षा) पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं है, क्योंकि दिनांक 31.03.2020 तक 30 पैरा बकाया थे।
- प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में शासी निकाय की एक बार बैठक होगी, लेकिन वर्ष 2019 के दौरान महाविद्यालय के शासी निकाय की केवल एक बैठक आयोजित की गई थी।
- यू.जी.सी से प्राप्त रु. 11.30 धनराशि के सहायता अनुदान का संस्वीकृत पत्र महाविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं थे।

मिरांडा हाउस

- लेखापरीक्षा आपत्तियों हेतु प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं है, क्योंकि 31 मार्च, 2020 तक 31 पैरा बकाया थे।

किरोड़ी मल महाविद्यालय

- वर्ष 2010-11 से स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करना।

मुक्त शिक्षा विद्यालय

- स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर का अनुचित रखरखाव।
- रु. 31.45 लाख के अग्रिमों का गैर समायोजन।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2019-20 हेतु नहीं किया गया है।
- विश्वविद्यालय के 2 प्रमुख पुस्तकालयों नामतः केंद्रीय विज्ञान पुस्तकालय और रतन टाटा पुस्तकालय के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।
- **अनुरक्षित संस्थान :** अनुरक्षित संस्थानों में स्थायी परिसंपत्तियों तथा पुस्तकों एवं प्रकाशनों के प्रत्यक्ष सत्यापन की स्थिति निम्नलिखित है :-

क्रमांक	अनुरक्षित संस्थान का नाम	अवधि तक संचालित प्रत्यक्ष सत्यापन	
		परिसंपत्तियां	पुस्तक एवं प्रकाशन
1.	आर्यभट्ट महाविद्यालय	2019-20	2015-16
2.	रामानुजन महाविद्यालय	2019-20	2018-19
3.	मुक्त अध्ययन विद्यालय	2019-20	प्रक्रियाधीन
4.	विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	2019-20	2018-19
5.	व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय	2019-20	2018-19
6.	दयाल सिंह महाविद्यालय(सांध्य)	2019-20	2018-19
7.	कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र	2013-14	2011-12
8.	वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान	2019-20	2017-18
9.	देशबंधु महाविद्यालय	2003-04	2019-20
10.	मिरांडा हाउस	2018-19	2018-19
11.	किरोड़ी मल महाविद्यालय	2008-09	2013-14
12.	राम लाल आनंद	2018-19	2019-20
13.	दयाल सिंह महाविद्यालय (प्रातः)	2018-19	2013-14

4. वस्तु-सूची (इंवेंटरी) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए लेखन सामग्री(स्टेशनरी) एवं उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।
- वर्ष 2019-20 तक 13 अनुरक्षित संस्थानों में से 11 अनुरक्षित संस्थानों की वस्तु-सूची(इंवेंटरी) का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। देशबंधु महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का क्रमशः वर्ष 2013-14 और वर्ष 2018-19 तक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

- खातों के अनुसार दिनांक 31.3.2020 को छह माह से अधिक का कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।

“प्रस्तुत रिपोर्ट मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। इनमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा”

